



- 2 जी.एस.टी. के बहाने राज्यों को पंगु करने की साजिश.
- 3 महाकाल और खजराना पर सरकारी डकैतों का साया
- 4 33बी.ओ.टी. के 60 टोल पर वसूली पू.प्र. मात्र 10 को
- 5 राष्ट्र में छोटे आग्नेय अस्त्रों की बाढ़ की तैयारी
- 6 पानी-नेताओं, पूंजीपतियों और सत्ताधीशों को
- 7 ग्रा.यां.से.के का.अ. गौर द्वारा स्टिंग आप्रेशन

अमेरिकी गिद्ध निगाहें ईरानी पेट्रोल पर

इस्रायल और अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी

दुनिया अमेरिका की बपौती नहीं, परमाणु बमों की आड़ में गुंडागर्दी

अमेरिका की निगाहें एशिया के देशों की पेट्रोल संपदा पर पिछले 50 वर्षों से लगी हैं। 1950-60 के दशक से ही उसने पहले ईरान और इराक को वर्षों तक लड़ाया फिर मध्यस्थता करने कुदा, सद्दाम को पाल पोसकर बढ़ा किया। बड़ा होते-होते वह ईराक का शासक बन बैठा। और अमेरिका को ठेग पर मार दिया। फिर कुवैत पर कब्जे की तैयारी में आ गया तो उसने ईराक को तबाह किया था परंतु सद्दाम की दृढ़ इच्छा शक्ति ने 90 वर्ष में ही नया ईराक खड़ा कर दिया। उसने फिर कब्जा ही कर लिया और पूरा पेट्रोल हड़प लिया।

ईराक के बाद एशिया में दूसरी सबसे बड़ा तेल निर्यातक ईरान पर उसकी पिछले 80 वर्षों से निगाहें हैं। पिछले 6 वर्षों से उस पर परमाणु बमों के विकास के नाम पर हमले

की तैयारी में बैठा है। बेशक इसके माध्यम से वो विश्व का गुंडा अपने हथियारों की भरमार क्षमता का परीक्षण समयावधि समाप्त होने



बमों। मिसाइलों का उपयोग और तीसरी तरफ एशिया के इस तेल निर्यातक पर हमला कर भारत, चीन जैसी एशिया की महाशक्तियां जो उसे आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं तेल की आपूर्ति ठप कर उनकी अर्थव्यवस्था की कमर

तोड़ देगा। दूसरी ओर अमेरिका को यह भी खबर रहा है। कि ईरान से पाइप लाइन से भारत की गैस आपूर्ति की व्यवस्था को कैसे रोका जाए।

बेशक भारतीय सत्ताधीश कांग्रेसी डकैत इस की आड़ में पुनः पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने के अवसर की ताक में है। इसलिए भी वो अमेरिकी गुलाम अमेरिका को ईरान पर आक्रमण करने से नहीं रोकेंगे। तीसरी तरफ अमेरिकी एजेन्ट सोनिया भी कांग्रेसी डकैतों को अमेरिका के विरुद्ध ईरान पर आक्रमण के विरुद्ध नहीं

बोलने देगी। यदि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए यदि परमाणु हथियार बना भी रहा है। तो हर किसी को हक है, कि वह अपनी अपने राष्ट्र और जनता की सुरक्षा करे।

शेष पेज 2 पर...

आत्म विश्वास और स्वाभिमान हीन गुलाम थे गुलाम रहेंगे

राष्ट्रगीत गुलामी का शिगूफे आजादी के

राष्ट्र की आजादी को 63 वर्ष गुजर गए, हमें और हमारे सत्ताधीशों को आजादी हजम नहीं हो रही। हम सड़कों पर तरीके से चलना नहीं सीख सके। तो जिंदगी में अपनी और अपने राष्ट्र की में कैसे तरीके से रह सकते हैं। सड़कों पर तरीके से स्वंपन चलना स्वमेव ही सिद्ध करता है। कि हमारी सोच क्या और कैसी है। जब हमारा वर्तमान सड़कों पर जानवरों की तरह चलने का है। तो स्वाभाविक है हमारा भविष्य भी जानवरों की तरह हँकने और हँकवाने का ही होगा।

इसका अंदाजा इस बात से बेहतर लगा सकते हैं। कि जो हमारा राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1919 में जार्ज पंचम की आगवानी में लिखा था। जिसमें उस गुलामी पसंद ने न केवल जन गण मन से उस अधिनायक अर्थात् हम जिन के आधीन से अंग्रेज रुपी नायकों की जय करवाई थी वरन् उसने उन्हें भारत का भाग्य विधाता भी बताया था। इसके साथ ही उसने पंजाब, सिंध, जबकि पंजाब का आधा हिस्सा और पूरा सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है। इसके विपरीत आजादी के 63 वर्ष बाद भी हमारे तथ

गीत गुलामी के गाएंगे, गुलामी फिर बुलाएंगे



कथित राष्ट्रगीत का हिस्सा है। के साथ गुजरात, मराठा, द्रविड़ अर्थात् दक्षिण के प्रांत, उत्कल अर्थात् उड़ीसा, बंग अर्थात् बंगाल के भी दो हिस्से हो चुके हैं। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा है। विध्य अर्थात् विध्यंचल पर्वत जो मद्रा का हिस्सा है। यमुना और गंगा की जल की तरंगें भी अंग्रेजों की जय-जय कार करती हैं। ये सब आपके रस नाम का स्मरण कर आशीष मांगती हैं। धन्य हैं ऐसे धूर्त गुलाम को जिसने

न केवल ऐसा गुलामों के द्वारा उन धूर्त चालाक अंग्रेजों की वंदना में न केवल गीत गाया और 63 वर्षों से अभी तक ये महान ऋषियों मुनियों के विश्व को ज्ञान बांटने वाले राष्ट्र को 125 करोड़ ये गीत गा रहे हैं।

लानत है ऐसे धूर्त मूर्ख और वर्तमान राष्ट्र की सत्ता के नेताओं को 63 वर्ष बाद भी गुलामी की गीत गाना बंद नहीं कर पाए और चिल्लाते हैं कि हम आजाद हैं। देश के संसाधनों का उपयोग कर ब्रिटेन के गुलाम राष्ट्रों के राष्ट्र मंडलीय खेलों का आयोजन कर यह सिद्ध करते हैं। कि हमारे आकाओं अपने भले ही देश

का त्याग दिया हो। पर हम अभी भी आपके ही तलुतों का रसास्वादन कर जीवन यापन कर रहे हैं। आप की याद रानी की मशाल जिसे क्वींस बेटन से नवाजा गया है लेकर ही जीवन को प्रकाशित कर दौड़ लगा रहे हैं। ये हमारा गुलाम सरदार प्रधान मंत्री जो वोटिंग मशीन की जालसाजी से हमारा दुर्भाग्य मनमोहन अभी भी आप के नाम की न केवल माला जपता है वरन् राष्ट्र की पुनः गुलाम बनाने के लिए कानून भी

शेष पेज 2 पर...

पिछले 5-6 वर्षों में हर प्राकृतिक आपदा में चीनी तंत्र का खेल

लेह के बादल फटने में चीनी षडयंत्र

भारत के सत्ताधीश कमीशन खोर डकैत, केवल अपने ही राष्ट्र की जनता को लूटने, बेवकूफ बनाने में ये धूर्त कांग्रेसियों का कोई मुकाबला नहीं



सत्ताधीशों की भ्रष्ट नपुंसक मान सिकता से शत्रुओं के बुलंद होंसले

कर सकता विश्व में, ये अंग्रेजों की अवैध औलाद। जिन्हें अंग्रेजों ने जाने के 62 वर्ष पहले ही पैदा किया था। वर्षों में लूटकर इंग्लैंड नहीं भेजा उससे कई लाख गुना ज्यादा में डकैत, कमीशन खोरी करके स्विस बैंकों में जमा कर चुके हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पर चलकर 250 वर्ष शासन करके भी इतना देश की बर्बादी नहीं की, किसी से कर्जा नहीं लिया।

शेष पेज 8 पर...

जब आरक्षण के नाम पर सामान्य का शोषण हो रहा हो?

जातिगत ही हो जनगणना

जबकि वोटों की गंदी राजनीति, और सरकारें बजट भी जातिवाद का आधार हैं।

पूरे भारत में वोटों की गंदी राजनीति और रण नीति का आधार ही जातियां हो, तो जनगणना में जाति क्यों नहीं लिखी और दर्शाई जाएगी। दर्शाई ही जानी चाहिए जातियां ताकि मालूम पड़ सके कि कौन अल्प संख्यक है। कौन बहुसंख्यक, कौन सी जाति के लोग आरक्षण के पात्र हैं। गरीबी अमीरी और पिछड़ापन हर जाति में समान रूप से फैला है। सारी अमीरी गरीबी और पिछड़ापन शिक्षा से जुड़ा है। जो शिक्षित है, वे अपनी दशा और दिशा येन केन प्रकरण हर हाल में सुधार लेते हैं, चाहे वो हिन्दुओं, मुस्लिमों, आदिवासी या हरिजनों में ही क्यों न हो?

दूसरी ओर जब शासकीय विभागों में नियुक्तियां, पदोन्नतियां, जातिगत आधार पर होती हैं। सभी से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समान रूप से वसूले जाते हैं जबकि उनका खर्च, वोटों के लिए हरिजन आदिवासियों पर दुगुना तिगुना-किया जाता है, बेशक उनके नाम पर मंत्री, सत्ताधीश अधिकारी और कर्मचारी ही 70 प्रतिशत उकार जाते हैं, फिर भी जब बजट आबंटन अनुसूचित जाति, जनजाति पर



सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है जातिगत आधार पर तो जनगणना जो 90 वर्षों में एक बार होती है, पिछले 60 वर्षों में अभी तक क्यों नहीं की गई मात्र इसलिए ही न, ताकि जो जन धन को हड़पों की नीति की सच्चाई जन-जन तक न पहुंच जाए।

सामान्य जाति के जन अपने बल बूते पर पढ़ाई लिखाई दुगुनी कड़ी प्रतियोगिताओं में 20-30 प्रतिशत की सफलताएं प्राप्त करें डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी बन भी जाए तो एक ही पद पर 30-35 वर्ष तक सड़ते रहे। और नियुक्ति वाले पद से ही सेवा निवृत्त हो जाए और घर में, समान में ये सत्ताधीश धूर्त उन्हें मुंह दिखाने लायक भी न छोड़े, क्योंकि उनका अभिषय है, कि वो सामान्य कुल में पैदा हुए थे, जब जातिगत आधार पर ये जुल्म आजादी के बाद से सामान्य वर्ग के लोगों पर पिछले 60 वर्ष से ढांचा जा रहा हो, तो 60 वर्ष से होने वाली जनगणना में जातियां क्यों नहीं लिखी जा रही हैं। ताकि उन धूर्त सत्ताधीशों का जनता को भ्रमित करने और सत्ता हथियाने का गणित न गड़बड़ा जाए। जहां तक कांग्रेसी गिरोह का सवाल है, तो वह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित इस गिरोह को जाते-जाते अंग्रेज फूट डालो राज करो हमने किया है तुम भी करो का जो सत्ता में बन रहने का गुरु मंत्र दे गए थे।

शेष पेज 6 पर...

शासकीय धूर्त गिद्धों की प्रसिद्ध मंदिरों में डकैती

महाकाल और खजराना पर सरकारी डकैतों का साया

दर्शनार्थियों से लूट पूरी-सुविधाओं तकलीफ देह और अधुरी



उज्जैन प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में चढ़ावे को हजम करने और प्रशासन के नाम पर दर्शनार्थियों से रु. १५१/- की सीधे प्रवेश के लिए वसूली कर कैसे भरी तपती मई-जून की गर्मी में परेशान किया जा रहा है। इसका नमूना महाकाल मंदिर में आसानी से देखा जा सकता है। जिसके सीधे प्रवेश द्वार पर रु. १५१/- अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, सीधे प्रवेश लिखा हुआ है। इस महाकाल मंदिर में हर वर्ष करोड़ों रु. का चढ़ावा सोना, चांदी आदि दान के रूप में प्राप्त होता है। जिसे जिलाधीश और उसके सफेद पोशा डकैत, भारी भरकम खर्च दिखाकर झुड़के व्हाउचरों के आधार पर उकारते हैं। यहां बैजू महाधूर्त शुभकरण शर्मा जिस पर पूर्व से ही सैकड़ों आरोप हैं। भ्रष्टाचार के और विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मंदिर के डेढ़ किंवदंत तांबे के पात्रों के चोरी जाने और बाले-बाले बाजार में बिकवाने का भी मामला सामने आया है।

सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वैसे १००मी. की दूरी पर ही महाकाल थाना है। पर साथ ही में, प्रवेश द्वार पर भी पुलिस चौकी है जहां पर १०-२० कर्मियों का स्टॉफ तैनात रहता है। इसके विपरीत फिर भी यहां सुरक्षा के नाम पर यहां निजी सुरक्षा के भी सैनिक रहते हैं। स्वाभाविक है ५० का वेतन का देयक बनता है और मुश्किल से १० कर्मों तैनात रहते हैं। वहां का ये भ्रष्ट अधिकारी शुभकरण शर्मा आधे का वेतन निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर डकार जाता है। सूत्रों के अनुसार मंदिर में चढ़ाने के धन से चढ़ने वाला प्रसाद आम दर्शनार्थियों को जो बाहर से आते हैं रु. ५१/-, १०१/-, १५१/-, २०१/- में मिलता है। परंतु सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, को ये शुभकरण मुपत में भेंट कर अपनी करनी को छुपाने और बचाने में कामयाब हो जाता है। जबकि इसकी धूर्तता, भ्रष्टाचार और डकैती के किस्से महाकाल मंदिर से लेकर जिलाधीश कार्यालय में वर्षों से चर्चा का विषय रही है सूत्रों ने यह भी बताया कि इसकी धूर्तता और भ्रष्टाचार के लिए पूरे महाकाल मंदिर परिसर में इसका गिरोह है यह गिरोह दान के रु. ५०००/- प्राप्त करता है, और रसीद की दूसरी प्रति पर मात्र रु. ५०/- ही दिखाए जाते हैं। इस प्रकार साधारण दिनों में भी प्रतिदिन ५ लाखों का गोल माल किया जाता है।

पहले मंदिर के पंडित चढ़ावा डकारते थे और करोड़ों रु. की संपत्तियां बनाते थे, अब ये सरकारी डकैत मंदिर के धन पर डाका डाल रहे हैं। आखिर इस धन से अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम औषधालय और चिकित्सालय क्यों नहीं चलाए जा सकते हैं। इस बार प्रशासन ने सोमवार को महाकाल की नगर दर्शन यात्रा में पास की व्यवस्थाएं लगा दी हैं। बिना पास के कोई भी सावन सोमवार की सवारी में शामिल हो नहीं हो सकेगा। जबकि उज्जैन में महाकाल की सावन की नगर दर्शन यात्रा में शामिल होने के लिए शासन सभी शासकीय विभागों में आधे दिन का अवकाश घोषित करता है। बेशक यह भी सच है कि १० प्रतिशत कर्मचारी और अधिकारी कोई भी उस यात्रा में शामिल नहीं होता और आधे दिन की छुट्टी का लाभ सभी उठाते हैं। पुलिस वालों और प्रशासन के एक दो अधिकारी ही व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही उसमें शामिल होते हैं। तो क्या उज्जैन का प्रशासन जब आधे दिन की छुट्टी घोषित करता है, तो क्या सबको पास भी जारी करता है वह तो पिछले दो तीन सोमवारों में कभी नहीं हुआ। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो।

परंतु वहां भी पासजारी करने के लिए वसूली तो शुरू हो ही गई दर्शनार्थियों से जो बाहर के दर्शनार्थी आते हैं। यदि बाबा महाकाल की नगर यात्रा में शामिल होने के लिए भी भेंट चढ़ाए जब पास जारी होते हैं। वैसे भी उज्जैन के भ्रष्ट प्रशासन का उद्देश्य तो यही है, कि आने वाले कुछ वर्षों से पासों की भी बिक्री की जाए। आम दिनों में दर्शनार्थियों को ये ध्यान धन नोंचने के लिए २ किमी लंबे घेरों में, जालियों में क्यों ढकेलते हैं। कई दर्शनार्थी इस पीढ़ा से बचने के लिए शिखर के दर्शन करके ही लौट जाते हैं। पर इन शूकरों को इससे क्या पड़ता है।

ये बत्तमीजीयां, प्रताड़नाएं ही हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करती हैं। पहले पंडों के, अब इन शासकीय डकैतों के चलते आम गरीब, असहाय वृद्ध, अपाहिज महाकाल के दर्शनों से कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। भाजपा जो हिन्दुओं की हितैषी बनने का ढोंग और पाखंड करती है, स्वयं हिन्दु मंदिरों में कैसे भ्रष्टों, पाखंडियों को संरक्षण देकर कैसे हिन्दुओं को दर्शनों के लिए भी कैसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देती है उसका ये ज्वलंत प्रमाण है।

दूसरी तरफ भाजपा के ही शासन काल में



सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि पर धड़ले से लॉट काटे व कालोनियां बनाई जा रही है। भाजपा के मंत्री, विधायकों से लेकर जिलाधीश, नगरनिगम उज्जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम निवेश, पंजीयक मुद्रांक, सहकारिता के निरीक्षकों से लेकर अंकेशक, उप पंजीयक जिला पंजीयक, संयुक्त संचालक सब दोनों हाथों से धन बटोर कर सब मौनी बाबा बने हुए हैं।

वहीं हाल इंदौर के एकमात्र गणेश मंदिर खजराना के भी हैं। यहां भी सरकार डकैतों को धन हजम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पर इन सरकारी डकैतों ने यहां भी पानी की व्यवस्था तक नहीं की है। खजराना मंदिर के चारों तरफ बनी प्रसाद की दुकानों में चारों तरफ मिलावटी लड्डू, पेड़े और मिर्झाई की भरमार है। जो शुद्ध घी की मिर्झाई और लड्डू के बोर्ड लगाकर रु. १६० से २५०/- प्रति किलो तक की वसूली कर रहे हैं। पर सच समझने वाला जनता है, कि जिस शहर में लाखों लौट्टर नकली दुध बिक रहा हो। शुद्ध घी के नाम पर क्या बेंचा जा रहा होगा अंदाज लगाया जा सकता है। बेशक नगर निगम के, खाद्य और औषधि निरीक्षक विभाग के श्वान, खाद्य निरीक्षकों को ये ईमानदारी से टुकड़ा डालते हैं।

भाजपा ने अपने शासन काल में प्रदेश के इस प्रकार ५० जिलों के अनेकों हिन्दु मंदिरों पर कब्जाकर डकैती और लूट खसौट तो शुरू कर दिया दूसरी तरफ हिन्दुओं को अपनी लूट और वसूली के चलते इस प्रकार से दर्शनों के लिए भी शारीरिक और मानसीक प्रताड़ना देकर हिन्दु धर्म परिवर्तन की राह खोल दी ताकि इन प्रताड़नाओं से तंग आकर आम गरीब हिन्दु स्वयं धर्म परिवर्तन करे। क्योंकि परमेश्वर में आस्था मानवमन कर स्वाभाविक गुण है। वह एक धर्म में प्रताड़ित होगा तो दूसरे को अपनाएगा ही।

इसके साथ ही जिस प्रकार शुरू किया या करवा दिया है अगर औकात हो तो भाजपा मुस्लिमों, ईसाईयों के धर्म स्थलों पर कब्जा कर उनकी धन संपत्ति को नियंत्रण में लेकर दिखाए।

खाद्य व औषधि-मुखरे डकैतों का अड्डा

मंत्री, नियंत्रक, निरीक्षक सबको चाहिए धन

धन खर्च कर, मनचाही पोस्टिंग, नियम विरुद्ध वरिष्ठ का दर्जा

म.प्र. में शिवराज का प्रशासन अंधे पीसे कुत्ते खाएं, सिद्ध हो रहा है। अंधे प्रशासन में नियम कानून केवल वसूली का शस्त्र बन चुके हैं। यहां तक कि खाद्य वस्तुओं और औषधियों की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला खाद्य व औषधि प्रशासन नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव से लेकर २५० से ज्यादा खाद्य निरीक्षकों, ८० से ज्यादा औषधि निरीक्षकों रुपी भेड़ियों का तो अड्डा बन चुका है जहां जहर को भी अमृत सिद्ध किया जाता है। इंदौर में बैठे भूखरे भेड़िए खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया को ४ वर्ष भी इंदौर से स्थानांतरण न किया जाना यह सिद्ध करता है कि इस

रुकवाने जबकि इसे ४ वर्ष से ज्यादा हो गया रु.३ लाख दिए भी करती है।

इंदौर, देवास, उज्जैन, पीथमपुर से यहां के खाद्य निरीक्षक तो वसूली करते ही हैं। परंतु वसूली की लार तो भोपाल



विभाग के साथ ही पूरे स्वास्थ्य विभाग में हर कदम-कदम भेड़ियों का ही साम्राज्य है। चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री यहां प्रशासन अंधे पीसे, कुत्ते खाएं की तर्ज पर ही हो रहा है। खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया के बारे में विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसने रु.५ लाख खर्च कर न केवल स्थानांतरण रुकवाया वरन वरिष्ठ निरीक्षक का पद भी उसे नवाजा गया। आखिर ये भ्रष्ट इसके पिछले ४ वर्षों में इसने जितने नमूने लिए उसके असफल नमूनों में कितने प्रकरण न्यायालयों में प्रस्तुत किए और कितनों से इस हरामखोर ने लेन-देन कर झुंटे कर दिए। पर नियंत्रक रुपी मुखरे राकेश श्रीवास्तव जो कि मुख्यमंत्री और उसके प्रमुख सचिव इकबाल बैस का कृपा पात्र हैं। को यहां बैठाया ही इसलिए गया कि वो भूखा खान चारों तरफ से वसूली कर सके। उसको अनेकों बार सूचना के अधिकार में पत्र दिए गए। अब ये जालसाजों का भोपाल स्थित मुख्यालय का अड्डा न केवल हजम करने लगा है। वरन् मुख्य सूचना आयुक्त पंचपाणि तिवारी को भी भेंट पूजा चढ़ाकर अपीले भी निरस्त करवाने लगा है।

नियंत्रक रुपी भूखे भेड़ियों राकेश श्रीवास्तव को यहां बैठे २ वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं पर इस हरामखोर ने धन की खनक में अभी तक दूरा एंड कास्मेटिक एक्ट १९४० और खाद्य का खाद्य अपामिश्रण निवारण अधि. १९५४ की एक बार दोनों को उड़ती निगाहों से भी नहीं पढ़ा है पदोन्नत भारतीय गाली देने वाली प्रशासनिक सेवा या आंगल में इंडियन एड्यूसिंग सर्विस का ये अधिकारी नियम कानूनों की आड़ में केवल वसूली में गोंच की तरह चिपट कर केवल धन बटोरने में लगा है।

इसके पूरे प्रदेश में फैले २५० से ज्यादा खाद्य निरीक्षक, निरीक्षक और नमूने लेने की धमक चमक दिखाकर, इंदौर जैसे शहर में सचिन लोंगरिया जैसे खाद्य निरीक्षक रु. ३ से ५ लाख महीना वसूलकर लाख रु. महीने की भेंट केवल नियंत्रक को ही चढ़ा देते हैं। बाकी इंदौर के ८ निरीक्षक हैं जो भी रु. ५००००/-से लाख रु.की वसूली कर रहे हैं। उपर से स्थानांतरण के सत्र में उज्जैन का महाभ्रष्ट खाद्य निरीक्षक भी रु.३ लाख खर्च करके इंदौर आ गया है। इसका और इंदौर के सचिन लोंगरिया के भ्रष्टाचार से महीना वसूली रुकते ही नमूने लेने की धमकी नमूना लेने के बाद सीधे ५० हजार, लेने के बाद रु.५००००/- मिलने के बाद नमूना बदलने, छुट्टियों के दिन भी करना, नमूने के बंडल लेजाकर घर रख लेना। ये काम देवास में पदस्थ सुषमा पथरो इसने भी अपना स्थानांतरण

वालियों की भी टपकती है। अभी हाल ही में भोपाल का संयुक्त संचालक स्तर का निरीक्षक दिनेश श्रीवास्तव इंदौर का सचिन, झाकुर, स्वामी गुप्ता सभी धार का सोलंकी ने मिलकर अलग टीमों में ५० से ज्यादा स्थानों पर दबिश देकर करीब रु.१० लाख की वसूली लगभग सभी खाद्य उद्योगों से की और जब भास्कर ने पूछताछ की तो ८ मात्र फैक्ट्रीयों के नमूने लेना बता दिए जबकि इन लुटेरों भेड़ियों के साथ कोई भी नमूना लेने वाला सहायक नहीं था, ताकि डकैतों की चौथी वसूली में न केवल विघ्न न आए और किसी फैक्ट्रीयों में गए कहां से कितनी वसूली हुई ये बात पत्रकारों तक न पहुंच जाए। चुंकि सभी माध्यम दर्जे के उद्योग हैं। इसलिए जो नमूने लिए गए हैं अब उनसे चुंकि संयुक्त नियंत्रक निर्देश श्रीवास्तव का प्रादेशिक स्तर का डकैत है। नमूने बदलने के रु. २ लाख नमूने पास करवाने की ग्यारंटी के और यदि २ लाख नहीं दिए तो नमूने फेल होंगे ही, तो प्रकरण दबाने के रु.३ लाख की ८ फैक्ट्रीयों से वसूली हो ही जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का इंदौर का महाजालसाज डकैत श्रेष्ठ डॉ. पंडित जो अब संयुक्त संचालक स्वास्थ्य का पदभार भी संभाले हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी होने के कारण जो नमूने लेने की

परिचियां उसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं प्रति पर्ची रु.१००/- के हिसाब से ये भेड़िया भी हर खाद्य निरीक्षक से चाहे वो खाद्य एवं औषधि के हो या नगर निगम के वसूली कर लेता है तभी नमूना परिचया जारी की जाती है। अर्थात् १० निरीक्षक खाद्य व औषधि के व १० नगर निगम के हर महीने रु. २००००/- डॉ. शरद पंडित को हस्ताक्षर करने की कमाई चाहिए।

पूरे प्रदेश में २५० निरीक्षकों को २५०० नमूने लेना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। यदि हर महीने २५०० नमूने लिए जाएं तो १० प्रतिशत नमूने निश्चित तौर पर फेल होते हैं। परंतु सारे डकैत निरीक्षक जिनमें महिलाएं वसूली में पुरुषों से आगे हैं। जिसका उदा. देवास की खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल है। अब साथ में इंदौर खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया की पत्नी खाद्य निरीक्षक निर्मला सोमकुंवर भी देवास में भी पदस्थ हैं। अरविंद पथरोल और सुषमा पथरोल की उज्जैन और देवास में और अपने गृह नगरों में कुल संपत्ति नगद और अन्य में निवेश करोड़ रु. के आसपास है ये वहीं सुषमा पथरोल जिसने संजना जैन

एडीएम की हल्दी कांड में लाखों रु. डकार कर ट्रांसफर करवाने में यह भूमिका निभाई थी। इस खाद्य और औषधि निरीक्षक के मुख्यालय में बैठे भूखरे भेड़ियों राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों प्रयोगशाला प्रभारी श्रीवास्तव, आरपी मिश्रा सबको धन बाँट कर आप जो चाहें करवा सकते हैं। और हो रहा नमूने तक प्रयोगशाला में शुद्ध नकली घी, दूध, क्रीम से लेकर नकली केसर, मिलावटी खाद्य तेलों नकली मावे की मिठाइयों से लेकर शुद्ध जहर के तक पैसे देकर न केवल पास कारवा लीजिए वरन् मानव उपयोग के लिए स्वीकृत कर वाली जिए।

इस मुख्यालय में बैठे हरामखोरों को वसूली से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि ये निकमी फौज ये भी देखले, कि कितने नमूने फेल हुए और गंतव्य तक पहुंचने के बाद जिलों में बैठे खाद्य निरीक्षकों ने कितनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें ५० से ८० प्रतिशत का अंतर है। इस आधार पर १० प्रतिशत खाद्य निरीक्षक निलंबन और सजा के पात्र हैं। देवास की खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल ने पिछले ४ वर्षों में ही हर वर्ष ७० प्रतिशत फेल नमूनों में संबंधित खाद्य विक्रेता से मो.लेन देन कर वो रिपोर्ट्स ही कार्यालय से गायब कर दी और न्यायालय में प्रकरण लगाने का मामला ही खत्म हो गया।

आखिर जिलों में बैठे महाजालसाज मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसे मानवों को नोचने वाले भेड़ियों तक का यह कमाल है, कि वो खाद्य निरीक्षकों से पर्ची लिखने की वसूली से लेकर नमूने लेने और छोड़ने की वसूली के हिस्सेदार तो होते हैं। पर इस विभाग में क्या कहां हो रहा है कभी नहीं देखते।

लोकायुक्त में बैठे भूखरों को इस बात की शिकायत की गई इस खाद्य एवं औषधि विभाग में कदम-कदम पर जालसाजियां कर वसूली हो रही है। कम से कम वो मप्र की खाद्य प्रयोगशाला से फेल नमूनों की कापियां निकलवा कर संबंधित जिलों के खाद्य निरीक्षकों और औषधि के मामलों में ये तो देखें कि कितने प्रकरण न्यायालयों में लगाए जिन्होंने प्रकरणों की प्रस्तुति में हेरफेर की है उनके विरुद्ध चालान पेश करें तो पिछले २-३ वर्षों के प्रकरणों में ही १० प्रतिशत खाद्य निरीक्षकों का निलंबन करना पड़ेगा परंतु ये सब भी महीना डकारकर अजगर की तरह पचाने के लिए सीटों से चिपके पड़े हैं। काम धाम क अजगर के तरीके से ही करते हैं। भास्कर व अन्य सामाचार पत्रों को धन बाँटकर डकैत सचिन अपनी तरीके जपवा रहा है। अपने कुकर्मों को ढाकने और वसूली बढ़ाने के लिए कहां से क्या सैपल लिए

फैक्टरी कंपनी सैपल बाबू सुपारी सुपारी माधुरी रिफायनरी सोयाबीन, वनस्पति, सरसों तेल लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीज लालकिला तेल, सरसों तेल दीपक इंडस्ट्रीज सरसों व नारियल तेल पारस कंसेक्शनरी ग्लुकोज व टॉफी धनंजय कंसेक्शनरी कोका सॉलिड, सोया लेसीथीन नोटी फुड प्रोसेसर लि. ग्लुकोज, चॉकलेट, मगरीन एमएसएस फुड प्रोसेसर सुपारी



म.प्र. रोड डकैत कारपोरेशन

33बी.ओ.टी. के 60 टोल पर वसूली पू.प्र. मात्र 10 को

सत्ता के डकैत तंत्र ने एक मुश्त वसूली कर, जनता को लूटने सड़के बेंची

भोपाल। म.प्र. सड़क विकास निगम सड़क विकास के नाम प्रदेश के सार्वजनिक राज्य के राजमार्गों को गिरवी करने और बेचने पर तुला हुआ है। जिसका व्यापक अनुमत और कटु अनुमत जनता को अब होने लगा है।

इस सड़क डकैत निगम में बैठा हर इंडियन एड्यूसिंग सर्विस अधिकारी, लो.नि. मंत्री, और मुख्यमंत्री इन सड़कों को ठेकेदारों को जानबूझकर मोटी रकम वसूलकर वास्तविक एसओआर से कई गुना ज्यादा लागत के प्राक्कलन बनाकर सौंप रहे हैं। ताकि लागत के हिसाब से, वाहन चलाकों से वसूली की जा सके। दूसरी ओर पहले ये ठेके मात्र 10 वर्ष के लिए सौंपे जाते थे, बाद में 15 वर्ष के लिए और अब ये 30-35 वर्ष के लिए सौंपे जा रहे हैं। यहां बैठने वाला हर डकैत प्रबंध संचालक चाहे वह राघव चंडा, मोहंती, सुलेमान और वर्तमान विवेक अग्रवाल हों जिसमें कोई भी प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं था। न ही इन हरामखोरों को सड़कों की इंजिनियरिंग से, उसके स्तर किसी से मतलब नहीं होता इन डकैतों को मतलब होता है। तो मात्र इनकी वसूली से। इसके लिए ये सभी प्रकार की जालसाजियां करने ठेकेदारों के एजेन्ट बन नाचते हैं।

इसके लिए इन सभी इंडियन एड्यूसिंग सर्विस अधिकारियों ने ठेकेदारों को रायल्टी भरने, वेट, आयकर, वृत्तिकर आदि तक से भी मुंह मोड़ लिया। जबकि इन जालसाजों ने सभी इस्टीमेट्स में इन सभी करो, रायल्टी आदि को ध्यान में रखकर ही इस्टीमेट का आंकलन किया होता है। इसके विपरीत पूरे प्रदेश में इन हरामखोरों ने उस रायल्टी में चुंकि अरबों रु. की बंदर बांट कर ली होती है। इसलिए उसे चुकाने के लिए नहीं कहते हैं। जबकि ये उसके नियोजित होते हैं। ऐसी सैकड़ों, जालसाजियां करवाते रहते हैं। जहां तक वहां बैठे मुख्य अभियंताओं, संचालकीय अभियंताओं या संचालकीय प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों का सवाल उठता है। तो ये सारे हरामखोर उनके साथ पालतू श्वानों से बदतर व्यवहार करते हैं। जिस काम के लिए उन्हें वहां बैठाया जाता है। उस काम की

अपेक्षा पूरे प्रदेश के हर संभाग में बैठा संचालकीय प्रबंधक उपप्रबंधक, सहायक प्रबंधक की यहां कोई औकात वख्त नहीं होती, उन्हें यहां हॉ, जी सरकार बनकर एक तरफ एमडी की ओर दूसरी तरफ ठेकेदार की कठपुतली बन दिन गुजारने पड़ते हैं क्योंकि ठेकेदार एमडी को मोटा कमीशन बांट चुका होता है। तो वो सारे कुकर्म करने के बाद भी तो खुलकर अपने तरीके से काम करता है। सड़कों को एक बार बनाकर पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर उसका उद्देश्य केवल वसूली करना होता है। माड में जाए सड़क सुरक्षा, वाहन चालकों की सुरक्षा, उसकी बला से दूसरी ओर ठेकेदार इस्टीमेट कितने का भी बनाए कैसा भी बनाए काम तो न्यूनतम लागत पर काम चलाउ ही करता है। जहां तक सलाहकार एजेन्सी का सवाल है, तो वहां भी बैठे तो आदमी ही होते हैं।

उनको भी टुकड़ा डालकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बाद में ठेकेदार मनमानी करता है कोई मानक स्तर नहीं इंदौर बुरहानपुर मार्ग पर 7 वर्ष से वसूली चल रही है। दोनों तरफ 4-4 फुट की कच्ची मुर की पट्टियां सड़क के तल से मिलाकर अभी तक नहीं बनाई गई हैं सड़क के तल से दाएं-बाएं 1 फुट से ज्यादा नीचा होने पर तल से मिलने तक वेरीकेडस पथरों तक को, रिटैनिंग वाल तक की व्यवस्था अनेकों स्थानों पर 7 वर्ष बाद भी नहीं की गई है हर वर्ष टोल टेक्स की राशि बढ़ाकर वसूलने में कोई ताही नहीं बरती जाती। ये सब इन हरामखोरों को नहीं दिखता यहीं हाल प्रदेश की हर सड़क का है। खुले में डकैत निगम जनता की जगक पर डकैती डलवाकर अपनी वसूली कर रहा है।

इस नियम की जालसाजियों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, कि इसकी अपनी इंटरनेट साइटों पर ही उनके द्वारा डाली सारी सूचनाएं कुछ बताती हैं कभी बताने लगती हैं। अपने ही डाले डाटा को, अगली बार ये स्वयं ही झूठा सिद्ध करते रहे हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी

मांगने, पर ये डकैत निगम कभी भी न केवल पूरी जानकारी नहीं देता वरन् अपनी जालसाजी के पन्ने भी गायब कर देता है। जब सारी जानकारी की फोटोकॉपी देना ही नियम है, तो कैसे और क्यों अपनी सच्चाई छुपाने के लिए जानकारी बनाकर देता है। ये सब दस्तावेज सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में प्राप्त हुए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हाथ लगे हैं। उसमें जालसाजियों का एक नया ही रूप सामने आया। जिसमें



मात्र 10 बीओटी ठेकेदारों को बिना इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के सड़कों के स्तर और मानकों को 4-6 वर्ष बाद भी 10/10/2010 तक पूर्णता प्रमाण पत्र दिए गए जबकि 33 बीओटी की सड़कों के लगभग 60 से ज्यादा टोल बुथों पर वसूली की जा रही है। दूसरी ओर सूचना के अधिकार में जो जानकारी भेजी गई है वह बिना लेटर हेड के होने के साथ ही यह भी नहीं बताती है कि वह पत्र किस विभाग ने किसको जारी किया है। अर्थात् यहां बैठे जालसाज प्रबंध संचालक अपने आप को बचाने के लिए कैसी और किस स्तर की जालसाजियां अरबों रु. हर साल कमीशन में डकार करके सारी जालसाजियां कर रहे हैं। ये इनकी जालसाज मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इन्होंने जो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए उनके उदाहरण देखिए।

(1) एमपीआरएसएन/जे-ई/रोड/2008/9459 दि. 10/7/9

08 इंदौर बुरहानपुर-इंदौर, 203 किमी, कुल रु. 6.3 करोड़ का प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृत रु. 8.4 करोड़। जबकि इस सड़क के कुछ हिस्सों पर सित. अक्टू. 03 से ही वसूली शुरू हो गई थी। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए 6 वर्ष के बाद भी निविदा की ओर बीओटी की शर्तें न केवल पूरी नहीं हुई इस मार्ग हर दिन एक दो वाहन अपर्याप्त सुरक्षा के चलते दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पट्टीयां दोनों तरफ 4-4 की अभी

मिलकर एमडी कमीशन डकार कर वाहन चालकों की जेब पर खुले में डके डाल रहा है। यही हाल इन डकैतों का पूरे प्रदेश में है उपर वसूली 2004 से ही शुरू हो गई थी। (2) पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. एमपीआरडीसी/यू-जे/रोड/2004/989 भोपाल दि. 18/1/04 को अंग्रह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि. महु इंदौर को उज्जैन-आगर-सुसनेर-झालाबाड़ मार्ग को 138 किमी पर जारी किया गया इसमें रु. 2.32 करोड़ का अनुदान किया गया। मार्ग पर पंच वर्क भी टाइम पर नहीं होता रिनोवेशन तो बहुत दूर की कोड़ी है। 2 टोल बुथों पर वसूली। (3) पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. एमपीआरडीसी/जेएनपीआरडी/06/622 कि. 3.04.07 रीवा टोलवे प्रा.लि. के हैदराबाद को रीवा-जयसिंग पुडा नगर-शहडोल-अमरकंटक मार्ग 282.70 किमी इस पर अनुदान रु. 4.34 करोड़। 3 टोल पर वसूली 06 से शुरू। (4) पू.प्र.क्र. एमपीआरडीसी/जेएनपीआरडी/06/629 दि. 3/4/07 सतना मेहर-उमारिया मार्ग 129.29 किमी में रीवा टोल वे प्रा.लि. हैदराबाद अनुदान रु. 2.92.90 करोड़, 3 टोल बुथों पर वसूली अक्टू. 04 से ही शुरू। (5) पू.प्र.क्र. 38/एमपीआरडीसी/एचएचके/06-01/609 दि. 2/6/06 को होशंगाबाद-हरदा-खंडवा 124.6 किमी अनुदान रु. 4.9.03 करोड़ में, एमएस के इन्फ्रास्ट्रक्चर न टोल ब्रिज प्रा.लि. को यह सड़क मात्र यह सड़क भी मात्र 15 चौड़ी है। इस हरामखोर ने भी वसूल सन 2006 से ही वसूली शुरू कर दी थी 6 सड़क उपर उठा दी परंतु दोनों तरफ की 8 वर्ष के बाद भी पट्टियां नहीं भरी गई पंच वर्क, गड्डे भरने का काम आशापुर से नए हरसद तक अधूरा है। 3 टोल बुथ पर वसूली। (6) बिना लेटर हेड के पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. 73/एमपीआरडीसी/डीयूबी/06-01/6972 भोपाल दि. 3/9/06 देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग 92.24 किमी में. आर व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्रा.लि. बेंगलूर को जारी

तक न तो भरी गई है और नहीं किमी तक उनका अता पता है। सड़क के दोनों ओर ढलान के चलते सैकड़ों वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं परंतु रिटैनिंग वाल्स, वेरी केडस का अता पता नहीं है। यहां तक कि मील के पथरों तक कई किमी पर न केवल नहीं है वरन् जो है उनकी रंगाई पुताई और फिर से लिखे भी नहीं गए हैं। साथ ही किसी भी टोल बुथ पर न तो स्नानागार, शौचालय, मूत्रालय, मूफ्त पीने का पानी, एंबुलेंस, क्रेन कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। जबकि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए 6 वर्ष बीत चुके हैं। लीन टोल बुथों पर एमपीएम के अनुसार वसूली करनी चाहिए थी ये रोड डकैत कारपोरेशन की सहमति और बंदर बांट के चलते 4 पर वसूली की जा रही है। हटाने के नाम पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में अटका रखा है पिछले चार वर्षों से। अर्थात् ठेकेदारों के साथ

किया गया अनुदान रु. 28.29 करोड़, स्टोल पर वसूली। (7) पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. 22/एमपीआरडीसी/आर आर/06-09/7004 भोपाल दि. 28/9/09 रायसेन राहतगढ़ मार्ग 109.8 किमी एमएस के हाइवेन लि. बडौदा अनुदान रु. 32.76 करोड़, 2 टोल बुथों पर मार्च 07 से वसूली शुरू हो गई थी। (8) पू.प्र.क्र. एमपीआरडीसी/जेएनपीआरडी/06/694 भोपाल दि. 4/4/07 जबलपुर-नरसिंगपुर-पिपरिया मार्ग 149.37 कि. में. जेएनपी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. जलगांव को रु. 84.19 करोड़ के अनुदान के साथ स्वीकृत किया गया। 2 टोल बुथों पर वसूली। (9) पू.प्र.क्र. 43/एमपीआरडीसी/एचपीपी/2010/9448 भोपाल दि. 11/4/2010 होशंगाबाद-पिपरिया-पंचमढ़ी 126.6 किमी यह सड़क भी 15 फुट चौड़ी है चेतक इंटरप्राइजेस प्रा.लि. उदयपुर(राज.) के कुल लागत रु 49.12 करोड़ पर 60 प्रतिशत अनुदान रु. 34.89 करोड़ दिया गया यहां भी वसूली जन 07 से ही शुरू हो चुकी थी। 2 टोल बुथों पर वसूली पत्र क्र. 623-28 दि. 20.3.07 से ही शुरू हो चुकी थी। पू.प्र. 11/4/10 को जारी हुआ। (10) पू.प्र.क्र. 12/एमपीआरडीसी/आरआर/2009/4036 भोपाल दि. 22/10/09 सितनी-बालाघाट-गोदिया मार्ग 114 किमी एबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कोलकता इस पर अनुदान दिया गया रु. 38.10 करोड़ 15 सड़क पर वसूली मार्च 2006 से ही शुरू हो चुकी थी 2 टोल बुथ पर वसूली।

इन सबके विपरीत देवास भोपाल कारोडोर पर वसूली 2 वर्ष पूर्व से शुरू हो गई थी, लेबड़-रतलाम-नयागांव-मंदसौर-नीचम पर भी वसूली शुरू हो चुकी है। ऐसे अनेकों सड़कें हैं जिनमें अभी तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं पर वसूली शुरू हुए वर्षों बीत गए हैं। जबकि पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से दिए गए 25, 25 व 30 वर्ष तक वसूली की जाएगी जबकि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए वसूली पूर्णतः अवैध है। पर डकैत कारपोरेशन का भी करोड़ों की हिस्सेदारी और वसूली है।

लेह के बादल फटने में चीनी षड्यंत्र

पेज 1 का शेष...

न ही कर्जा करके देश पर छोड़कर गए। जितना इन कांग्रेसी श्वानों ने एक तरफ देश को हर तरह सेन केवल विकास के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगते रहे और अरबों करोड़ का कर्ज भी लाद चुके हैं। इन सबके विपरीत एक आम आदमी से लेकर समग्र देश की चारों तरफ से सुरक्षा के नाम पर भी न केवल गंभीर नहीं वरन् इनकी नपुंसकता और निकमपन की मिशाल भी पूरी, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जबकि इन्होंने आतंकवादियों को न केवल पकड़ लिया वरन् पकड़कर उनकी सेवा चाकरी, मुर्गमुस्लम, बिरयानी, देश की सुंदरियां भी परोसते रहे।

जिसका सीधा सा उदाहरण काश्मीर के चरारे शरीफ से लेकर, संसद के हमले के षड्यंत्रकारी अफजल गुरु से लेकर अजमल कसाब के बारे में देखा जा सकता है। जिन्हें ये कांग्रेसी अपना दामाद बनाकर न केवल पाल रहे हैं। वरन् दुनिया को अपनी न

पुंसक और निवृत्तमान मानसिकता का परिचय भी दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पड़ोसी शत्रु चीन और पाकिस्तान के साथ नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश की अब हमारी सुनने की ता दूर कई बार हम को ही आंखे दिखाते हैं। जिसके लिए ज्यादा दूर नहीं पिछले 10 वर्ष का इतिहास गवाह है कि नेपाल अभी 3-4 वर्ष पूर्व ही कोसी नदी का पानी छोड़ बिहार में बाद का तांडव किया था। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की आई एसआई न केवल खिलाना बन चुका है वरन् चटगांव की पहाड़ियों पर आतंकवादी कैप चला रहा है वह वहां से असम और नेपाल के माध्यम से बांग्लादेश की सीमा के माध्यम पश्चिमी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता ही रहता है। इस संबंध में प्रभात झा का ये कथन की बीएसएफ और सीआरपीएफ के सीमावर्ती 90 प्रतिशत अधिकारी तस्करी में लिप्त हैं कहीं से भी गलत नहीं था वो खुलकर देशी विदेशी मुद्राएं स्वीकार कर पिछले 30-40 वर्षों से तस्करी करवा रहे हैं।

से लेकर भारत की लेह से लेकर भ्यांभार की सीमा जो चीनी सीमा से लगी है। पर चीन पिछले 60 वर्षों से तांडव कर रहा है वरन् 40-50 किमी तक न केवल अंदर घुस गया है वरन् सभी प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है।

लेह से सटी सीमा में उसने सन् 2002 से बड़े-बड़े विशाल खड्डे बनवाए और उनमें बर्फ जमाने के लिए छोड़े रखा फिर बर्फ जमाने के अंतिम सप्ताह में सन् 2006 में बम फोड़कर बर्फ पिघलाकर पानी बहाया जिसे हिमाचल प्रदेश और उसकी राजधानी में बाढ़ आई यह सब भारतीय थल सेना की जासूस टुकड़ियों ने भारतीय गृह और रक्षा मंत्रालय को सूचित किया पर इन नपुंसक निकमों के कान पर जूं नहीं रेंगी बाद में बाढ़ के रूप में उसका खमियाजा भुगत कर चुप हो गए। चीन ने इंग्लैंड द्वारा बनाई गई 1991 की मैकमोन लाइन को कभी ही माना।

1940 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 36000 वर्ग मील में फैले आवसाई चीन जो भारत का

हिस्सा था कब्जा कर लिया था। सन् 1952 में 62000 वर्ग मील में उसने युद्ध के माध्यम से हथिया लिया अर्थात् 90 लाख वर्ग मील को तो आजादी के 12 वर्ष में ही हथिया लिया इसके बाद लद्दाख भ्यांभार तक फैली लगभग 2400 किमी लंबी सीमा में 40-50 किमी तक उसकी सैन्य और नागरिक गतिविधियां उकसाने और हथियाने के हिसाब से कर रहा है। जब भारतीय राजनीति विदेश रक्षा और गृह मंत्रालय पिछले 40-60 वर्षों से अपनी नपुंसक, निकम मानसिकता का परिचय दे रहा है तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं वरन् अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना ही हिस्सा मानकर पिछले 30 वर्षों से वहां के नागरिकों को चीन आने जाने की खुली छूट देता है।

लेह में 4-06 अगस्त को बादल फटने की जो घटना घटी उसे वहां के वैज्ञानिक जो मौसम देखते हैं। आश्चर्य चकित है कि वहां जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती और वर्षा के अमाल में हिमालय का वह हिस्सा सूखे के कारण रेगिस्तान कहलाता है। फिर यदि बादल प्राकृतिक रूप से फटता तो उसका असर व्यापक होना चाहिए था। वहां पर वह भी नहीं हुआ। इसके

विपरीत लेह के घनी आबादी वाले इलाके के एक निश्चित भाग पर ही भयानक अचानक 14-20 मिनिट में ही सब कुछ हो गया जबकि इसके पूर्व भी मौसम साफ था और उसके कुछ घंटों बाद भी मौसम साफ था। जबकि ऐसा ही दूसरा हादसा फिर घनी आबादी में अगस्त के तीसरे सप्ताह बाद भी हुआ।

बेशक चीन ने मौसमी बम का इस्तेमाल किया ताकि भविष्य में वो सैन्य ठिकानों पर बारिश कर सारी व्यवस्थाए चौपट कर सके। अभी भी उसकी नियत यह थी कि लेह के इलाके को नष्ट करके निर्जनता का फायदा उठा कर कब्जा कर सके और वहां अपनी चौकियां स्थापित कर सके 1 अग. 10 को प्र.मं. मनमोहन ने वहां पहुंचकर रु. 9.25 करोड़ की सहायता राशि देकर वास्तविकताओं से पल्ला झाड़ लिया। पर यह निकमपन भविष्य में बहुत घातक होगा। अब वह यही कांड चीन से लगी सीमा के हर भारतीय शहर पर बरसाएगा। चीन एक तरफ बंगाल, उड़ीसा झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश के माओवादियों को सभी तरह की जिस में नैतिक, सामारक आर्थिक सहायता देकर अंदर से सुरक्षा को

खोखला कर रहा है। तो दूसरी चीन से पाकिस्तान तक रेलवे लाइन और सड़क बनाकर के माध्यम से गुजरात से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा पर सड़क व रेल लाइन तैयार करने में पाकिस्तान को लगातार सहायता देकर पश्चिम से पूर्वांतर तक भारत के विरुद्ध सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने में लगा है।

वहीं भारतीय साइटों पर भी चीनी आक्रमण, डाटा चोरी की शिकयतें न केवल बढ़ रही हैं वरन् भारत में कार्यरत चीनी संस्थान केवल नहीं ज्यादा पैर फैला रहे हैं पर देश में कुछ मिसाइलें विकसित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेना में जल, थल, वायुसेना तीनों में ही न केवल अधिकारियों, विमान चालकों तक की भारी कमी है। इसकी तरफ रक्षा मंत्रालय का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान केवल भरपूर उठा रहे हैं वरन् भारतीय सत्ताधीशों की

लोकसभा में विदेशी हथियार निर्माताओं के बाजार की वकालत

राष्ट्र में छोटे आग्नेय अस्त्रों की बाढ़ की तैयारी



गृहमंत्री पी चिदंबरम लोकसभा में पैरवी कर रहे लाइसेंस युक्त शस्त्रों की

खर्च करना पड़ते हैं। जिसमें लाइसेंस की फीस के अतिरिक्त रु. 20000/- एसडीएम रु. 90000/- संबंधित थाने के थानेदार के सत्यापन, रु. 4000/- फाइल बनाने वाले बाबु के रु. 4000/- लाइसेंस देने के समय, अर्थात् जहां-जहां से फाइल गुजरेंगी जिलाधीश से एसपी आफिस फिर वहां से संबंधित थाना सत्यापन फिर सब कुछ झूक झुक रहा तो फिर राज्य के गृहमंत्रालय तक फाइल आने जाने में उसे 6 महीने का समय लगना मामूली सी बात है। बेशक जिसकी नीचे से उपर तक पहुंच है। रूढ़िवादी शक्ति संपन्न नेता मंत्री या शासकीय स्तर के अधिकारी आदि के चलते 9 महीने के समय में लाइसेंस मिल पाता है। इन सबसे बचने के या इतनी उलझनों के चलते लाइसेंस की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता।

इस सबसे मुक्ति दिलाने के लिए केन्द्र के गृह मंत्रालय के गृहमंत्री पी चिदंबरम की तैयारी थी कि आम आदमी को उसकी सुरक्षा की आड़ में लाइसेंस मुक्ति हथियारों की व्यवस्था के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए। जबकि विदेशी हथियार निर्माताओं ने जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली और चीट अंबर को गृह मंत्रालय का आबंटन हुआ इस को न

केवल अपना सलाहकर नियुक्त कर संभवतः रु. 9000/- करोड़ की चढ़ोचढ़ी, अमेरिकी डालर में 20 करोड़ डालर विदेशी खाते में जमा करवा दिए और प्रति रिवाल्वर, पिस्टल, 200 अमेरिकी डालर का कमीशन जो रु. 90000/- होता है का वादा कर दिया गया या सौदेबाजी की गई। फिर क्या था सलाहकार महोदय ने लोकसभा से ही शुरुआत की क्योंकि वर्तमान में भारत में लगभग 92 से 94 करोड़ कारे हैं। यदि सभी कार वालों को ही उनकी सुरक्षा के नाम पर भी एक-एक पिस्टल रिवाल्वर बेची गई जिसकी कीमत मात्र 9 लाख से 2 लाख होगी। जबकि वास्तविक कीमत मात्र रु. 4000/- अर्थात् रु. 90000/- यदि विज्ञान प्रचार और दहशत फैलाने में भी खर्च किए गए तो सब कुछ जिसमें कमीशन, आदि का खर्च रु. 24000/- तक भी आया तो रु. 940000/- प्रति रिवाल्वर फायदा विदेशी कंपनियों को होगा।

वह बात दूसरी है, कि फिर चीनी और देशी कट्टे रिवाल्वरों से भारत के बाजार भर जायेंगे जो मात्र रु. 9000 से 2000 में ही बेंचना शुरू कर देंगे। जिससे भारत के 90 करोड़ से ज्यादा करोड़ पतियों की

बिगड़ेली औलादों के लिए यह अमीरी दिखाने और शान बंधारने के लिए स्कूलों और कालेजों में बात-बात पर रिवाल्वर दिखाने, चलाने, घायल करने और निपटा देने के कांडों की बाढ़ आ जाएगी। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है। उसे अपराध करने और लूट-पाट करने वसूली करने, धमकाने चमकाने का आसान व्यवसाय मिल जाएगा। बेशक फिर घर से निकलकर, शाम को पुनः सुरक्षित घर पहुंच जाना भी एक अजूबा बन जाएगा। फिर नक्सलियों को हथियार लूटने की बड़ी योजनाएं नहीं बनानी पड़ेगी। फिर सरकारी अधिकारियों से काम लेने के लिए धन की नहीं रिवाल्वर दिखाकर ही काम चल जाया करेगा। इसके विपरीत नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की वसूलियों, रिश्वत खोरी, न सुनने की आदतों के चलते हर शहर में एक दो टपकाने की घटनाएं शुरु हो जाएंगी तो केन्द्र और राज्य सरकारों को हर वर्ष भर्ती करना पड़ेगी। तो रोजगार बढ़ेगा, फिर बिरले ही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सेवा निवृत्ति अपने समकक्ष, कनिष्ठ या वरिष्ठ से स्वार्थों के चलते कहीं न कहीं तो नोकझोंक होगी ही उससे बच गए तो फिर जनता से नोकझोंक

में कहीं न कहीं ये पिस्टल रिवाल्वर चलेगी ही तो 2-4-90 बार घायल होंगे कभी तो उल्टी सीधी गोली लगकर मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिहारी लालू यादव ने चीट अंबर के इस प्रस्ताव का न केवल विरोध किया वरन् सिर से खारिज करवाने की कोशिश भी की। इसके विपरीत चीट अंबर अपने गृह मंत्री होने का फायदा उठाकर फिर सलाहकार ने जो 20 करोड़ डालर की फीस ली है। कहीं तो चुकाना ही पड़ेगा गाहे बगाहे कांग्रेस के शासन काल में छोटे हथियारों को लाइसेंस मुक्त करने की लगातार पहल की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सारे समाचार पत्रों में आपराधिक खबरों को छापने जो आम आदमी में भारी दहशत और खौफ

पैदा करें। टीवी समाचार शृंखलाओं को जोड़कर पूरा आपराधिकता से भरे समाचारों का अभियान चलाने की शुरुआत की जा चुकी है। फिर भारत में क्यों, जहाजों को रखने की होड़ मची है तो हथियार कैसे और क्यों पीछे रहें। अब न केवल पुरुष वरन् बड़ी संख्या में महिलाएं भी हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस मांग रही हैं। अभी रईसजादियां कारे चलाकर नशों में लोगों को कुचल कर मार रही हैं। फिर रईसजादियां अपने सुख सुविधा, अय्यासी में खलल पड़ते ही पति, सास, ससुर और बच्चों को भी गोलियां मारने से नहीं चुकेगीं। चाहिए यह क्रांति भी इस देश को चाहिए। आखिर कमीशन खारे डकैत कांग्रेसी सत्ताधीश सब जानवर भी स्वयं ही इस बहाने अपनी मौत का दावत देने से नहीं चूकने वाले।

जातिगत ही हो जनगणना

पेज 9 का शेष...

कांग्रेसी गिरोह उस मंत्र का अक्षरशः पालन कर रहा है। इसके लिए 40 वर्ष तक उन्होंने इसी दम पर राज किया हिन्दु मुस्लिम दंगे करवाना फिर हिन्दुओं को प्रताड़ित करना और मुस्लिमों का अधसहयोग करना यही कारण था कि अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी ये धूर्त शूकरों की फौज केन्द्रीय गृह और विधि मंत्रालय से दिल्लीराज के गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय में ही उस फाइल को 3 वर्ष से ज्यादा समय से दौड़ा-दौड़ा कर समय पूरा कर अफजल गुरु की फांसी मुस्लिमों के वोटों के लिए टाल रही है। जिसने इस राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता के केन्द्र संसद को उड़ाने की कोशिश की थी।

अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के साथ मौलिक हथियार के रूप में जो गुरु मंत्र दिया फूट डालो राज करो, हमने 300 वर्ष किया का ही मूल चरित्र कांग्रेसियों ने 60 वर्ष से अढ़ाकर पहले हिन्दु मुस्लिम दंगों से सत्ता हथियाई, जब ये हथियार मोथरा पड़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने रणलिस्तान और मुस्लिम आतंक को हथियार बनाया। जो स्वयं इंदिरा की हत्या कारण बन गया। नेहरु के स्वतंत्र काश्मीर और मुस्लिम आतंक को पाला पोसा। जो अभी तक भारत में नासूर की तरह बट रहा है। फिर मुस्लिमों को सहयोग करना आतंकी कार्रवाईयां विस्फोट करवाना। फिर पकड़े जाने पर उन्हें बचाना। हिन्दु साधु, संतों, साधियों को आतंकी घोषित करना। पुलिस अमिरथा में उनका अनेकों पुलिसियों शरीरिक-मानसिक शोषण करना और प्रताड़ना देना। ये कांग्रेसी गिरोह के सारे हथकंडे जातिगत ही हैं। तो जनगणना जातिगत क्यों नहीं की जाएगी।

इन सबके विपरीत जातिगत जनगणना के वैज्ञानिक पहलू भी सैंकड़ों हैं। जातिगत जनगणना से स्वयं शासन तंत्र को ये मालूम पड़ सकेगा। कि शिक्षा के नाम पर जो अरबों रु. पिछले 30-40 वर्षों से बहाया जा रहा है। उसका किस जाति पर कितना असर हुआ। परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किस जाति पर कितने सफल हुए। वास्तविकता में कहां ध्यान देने की जरूरत है। अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर औसतन केन्द्र सरकार विभिन्न मदों से रु. 9 से डेढ़ लाख करोड़ खर्च कर रही है उसकी वास्तविकता क्या है? क्या सचमुच 60 वर्षों से ज्यादा समय से खर्च

की जा रही ये रकम कहां खर्च हो रही। अन्यथा ही खर्च हो रही है। तो फिर क्यों अभी तक उस पर ध्यान देकर उसमें परिवर्तन लाए जा रहे। आम मध्यमवर्गीय सामान्य हिन्दुओं के मुंह से ही क्यों निवाला छीना जा रहा है। उनके गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्यों छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। क्यों उनके आगे सामान्य वर्ग को हर कदम अभिषाय बना कर प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों से लेकर सरकारी नौकरियों में, फिर पदोन्नतियों। जातिगत जनगणना से ये आंकलन करने में मदद भी मिलेगी कि आर्थिक समृद्धि के लिए जातिगत आधार पर कहां किसे कितना सहयोग सरकार को देना चाहिए।

जब जातिगत आधार पर सच्चा कमीशन पिछले बीस वर्ष से ज्यादा समय से चला आ रहा है। जबकि सच अधिकांश कमीशन, पांच आयोग, अपने कार्यों को अपनी तरह से, कमीशन देकर, इच्छानुसार जांच रिपोर्टस तैयार की जाती हैं।

दूसरी तरफ जातिगत आरक्षण देकर उन जाति विशेष के 0.6 प्रतिशत लोगों का ही फायदा हुआ जो सरकारी नौकरियों में थे उसके बदले वास्तविक राष्ट्र को कितनी हानि वर्तमान में हो चुकी है और भविष्य में नासूर बन कर कब तक बहेगी।

पिछले 30 वर्षों में कांग्रेसी गिरोह का मुस्लिम अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक उसके हाथ से खिसक चुका है। सन् 2008 का चुनाव कांग्रेसी गिरोह ने भाजपाई प्रमोद महाजन की नासमझी और लालच से और 2009 का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जालसाजी से जीता है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय तक में खींचा जा चुका है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप भी भारत के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जालसाजी ही मानता है। जिसकी सच्चाई समय माया ने मार्च 2009 में ही चुनाव आयुक्त चावला की नियुक्ति के साथ ही घोषित कर दिया था। यह कांग्रेस भी जानती है।

अर्थात् जातिगत जनगणना करवाने के सैंकड़ों आधार हैं। जो भविष्य में भारी उपयोगी सिद्ध होंगे। फिर आजादी के बाद से अभी तक सारी राजनीति, वोट, चुनावी समीकरण, विकास की अवधारणा, सब जातिगत है। तो जनगणना में जाति न डालकर स्वयं सभी अपने आप से छलकर रहे हैं।

भारत में जांच एजेंसियों की नौटंकी

पेज 8 का शेष...

फंसाकर खुद निकल लेते हैं। फिर वर्तमान में सीबीआई तो शुद्धतः कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन बन चुकी है। जैसे कांग्रेस चाहती है ब्यूरो वैसे ही काम करता है। अभी जब परमाणु समझौते पर कांग्रेस को भाजपा का साथ चाहिए था, तो उसने खुल कर सौदेबाजों की। जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीबीआई बार-बार जांच के लिए परेशान करती थी। अचानक उसी मोदी का क्लीन चीट दे दी और सोहराबुद्दीन ही इतिहास की गर्त में सीबीआई ने अपने आका के इशारे पर दफन कर दिया।

महाराष्ट्र के एटीएस ने हिन्दु साधियों को गिरफ्तार कर उनका मुंह बंद करने के लिए यौन-प्रताड़ना दी। वहीं हाल कर्नल पुरोहित का किया क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। मुस्लिम परसत कांग्रेस अपने मुस्लिम वोटों के लिए अफतल गुरु, अजमल कसाब, जिन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी। उनके चरण पखार प्रथम श्रीणी का नागरिक मान उन पर करोड़ों रुपया खर्च करती है।

वहां से लेकर राज्यों के लोकायुक्त पुलिस संगठनों में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठाकर, जिन्होंने जीवन भर सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के लिए आम जनता को शब्दों के माया जाल में उलझा कर फँसले दिए जिसमें आम नागरिक का भरपूर शोषण हुआ वहीं हाल आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो का भी हो। दोनों ही संगठन के वहीं पुराने पुलिस विभाग के जालसाज, धूर्त पुलिसिए बैठे हैं जिनका एक मात्र काम है। कि जांचे और झूठे निष्कर्ष निकलें न निकले अपराधी को सजा हो न हो। उसके विरुद्ध चल रहे प्रकरणों में केवल जांच के नाम पर खुलकर वसूली

करें। हाथे पोछें और चल दो। हालात यह हैं, कि भ्रष्ट विभागों ने अपने विरुद्ध कोई झूठे कार्यवाही न हो इसलिए स्वयं ही पूरे प्रदेश से पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। जिसमें वाणिज्य कर, आरटीओ, एक्साइज, संपत्ति क्रय विक्रय पंजीयक लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन महिलाबाल विकास आदिमजाति कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगमों आदि से करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के हर महीने पहुंचा दिए जाते हैं। इसलिए सैंकड़ों शिकायतें होने के बाद भी जांचों को पंजीकृत नहीं किया जाता और वसूली शुरु हो जाती है। दूसरा इन हरामखोरों की सतर्कता समीतियों में बैठे अपने आप को न केवल खुदा समझते हैं वरन् धन का लेन-देन कर 94 से 24 वर्षों तक जांचों को खींचकर उलझाए रखा जाता है। आखिर बैठे तो यहां भी सभी भुखरे श्वानों की फौज ही है। जिसे काम से नहीं। वरन् अपराधी से वसूली से मतलब होता है।

दूसरी ओर लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की बिडबना यह है, कि न तो इनके पास पर्याप्त स्टाफ होता है, न साधन, न अच्छे गंभीर अध्ययनशील और मेहनत कश वकील। ताकि शीघ्र और झूठे निर्णय ले सके। दोनों ही संगठन होते ही हैं सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की कठपुतली हैं। जिन्हें सत्ता के इशारे पर ही नाचना पड़ता है।

4-6-09 अगस्त 90 को लोकायुक्त नान लेकर व इनकी टीम इंदौर में भी जांच की नौटंकी करने शासकीय स्तर पर आई थी। एक दिन जनता और पत्रकारों को भी उस टीम की जन संपर्क अधिकारी या लोकायुक्त की निजीसचिव की हैसियत से श्रीमती कोल जनता व पत्रकारों से बातचीत की, क्षेत्रीय पत्रकारों जो दैनिक समाचारों ने

जो प्रश्न पूछे। उनमें थे। कितनी शिकायतें आईं। कोल का जवान था 32 किस-2 की आई। तो श्रीमती कोल ने बताया कालोनीवालों की आई, अवैध कब्जों की आई। अब देखने वाली बात यह थी, कि जब वो लोकायुक्त जैसे संगठन की प्रवक्ता बन कर जवाब दे रही थी तो क्या ये जवाब देना चाहिए था कि किस-2 की आई। जब तत्काल शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित था। इस प्रतिक्रिया चाहे शिकायत कर्त्ताओं की जिंदगी ही खबरें में पड़जाए। दूसरा शिकायतें खोजबीन के बाद ही सत्य और झूठे सबूतों के आधार पर शिकायतें मानी जाएंगी इसके विपरीत छपास रोग के चलते ऐसे प्रश्नों के भी जवाब दिए गए ताकि मिडिया में नाम आ सके।

समय माया की तरफ से श्री अजमेरा भी उपस्थित थे, तो जब उन्होंने सभी पत्रकारों के बीच में पूछने की कोशिश की वो दैनिकों के पत्रकार गुर्राए और बौले आप कौन। जबकि अधिकांश पिछले 90 वर्ष से जान रहे हैं। उन्होंने बड़े शांत भाव से भाई मैं समय माया का मुख्य संपादक, तो फिर गुर्राए बोले, नहीं आप नहीं पुछेंगे। हम डेली(उल्टी सीधी आधार हीन, जनता को भ्रमित करने वाले समाचारों की उल्टी-पलटी) वाले हैं हम पुछेंगे। श्री अजमेरा कौन मुंह लगे और सबका समय बर्बाद करें चुप रहे। जब सब उपरोक्तानुसार सवाल पूछ कर हटे। हटते ही साथ श्री अजमेरा का श्रीमती कौल से पहला प्रश्न था कि आप बताए कि पिछले 20 वर्षों में आपने कितने भ्रष्टमंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए और कितनों को आपकी कार्रवाहियों से सजा हुई। ये पूछते ही श्रीमती कौल का जो चेहरा दैनिक वालों से बाते करते हुआ मुस्करा रहा था। एकदम कुम्हला

गया और बोली नहीं-नहीं ये मुझे पता नहीं है। ये तो आप लोकायुक्त से ही पूछिए। श्री अजमेरा ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि चलिए बता दीजिए कि कुल कितने प्रकरण जांच में हैं। जिनकी 4 से 94 वर्षों से केवल जांच ही चल रही है। कितनों के चालान न्यायालयों में पेश कर दिए और न्यायालयों में लंबित है। अब श्रीमती कौल का चेहरा देखने लायक था। चेहरे पर खीझ छुपाते हुए बोली, कि आप सब लिखकर दे दीजिए। जवाब मुख्यालय से भिजवा देंगे। फिर अजमेराजी बोले चलिए इसे भी छोड़िए। तीसरा अंतिम प्रश्न बता दीजिए कि मुख्य अभियंता डामोर एकपीपीएचई इंदौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशुतोष अवस्थी इंदौर और तीसरे रघुवंशी तीनों ने उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच में 3 वर्षों से विभागीय जांच के प्रकरणों पर स्थगनले रखा है। वर्ष में दो-तीन पेशियां पड़ती भी है। तो एक न्यायाधीश तीनों को एक साथ सुनने की प्रक्रिया चलाते हैं। दूसरे तीनों को दूसरी पेशी में अलग-अलग सुनने की बात करते हैं। यदि विभागीय जांच पर स्थगन है। तो आप न्यायालय में चालान पेश करने की पात्रता का उपयोग कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे। तो जवाब था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी आप लोकायुक्त साहब से ही पूछे।

निष्कर्ष यह है कि केन्द्र से लेकर राज्यों की सभी जांच एजेंसियां सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली कानूनी नौटंकीयों की एजेंसियां हैं। जो पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के इशारे पर सारी जांच का नाटक करती हैं। धन व शक्ति संपन्न से धन कमाकर निरीहों का शोषण करती हैं। चाहे वो एटीएस हो, सीबीआई, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या कोई भी आयोग, समीति आदि हो इनसे न्याय की उम्मीद, खंभे पर टंगी बीखल की खिचड़ी की हांडी है।

आवेदकों, अपीलार्थियों को मानसिक प्रताड़ना

म.प्र.सूचना आयोग-जालसाज आयुक्तों का अड्डा

किसी भी आईएस व धन बांटने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

मि.अजमेरा हम मंत्री, विधायक, उपर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों जैसे 15 कुत्तों को रोटीयां डालते हैं, एक सूचना आयोग जैसे 16 वॉ और सही, उसे भी टुकड़े डालेंगे वो भी हमारे पक्ष में ही फैसला देगा, पीएलई सेवा निवृत्त का अ. जगदीश भाटिया का यह वक्तव्य जो सूचना अधि. अधि.05 के लागू होने और आयोग के गन्ध पर उक्त इंजिनियर ने दिया था, एकदम सच था, जिसे यहां बैठे धूर्त जालसाज मु.सू. आयुक्त पीपी तिवारी, सू.आ. आजमगढ़िया जालसाज आयुक्त इकबाल अहमद, पुलिस विभाग का धूर्त जिसे पत्रकारों ने डकैत संहारक का नाम देकर महान बनाया था, जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार ही इसने कभी कोई डकैत और अपराधी नहीं मारा वरन जिस पुलिस वाले ने डकैत मारा था डले ही उसे दिनेश जुमरान ने मारा बताने के लिए पुलिस वाले को ही निपटा दिया गया, जिसे अपने पूर्व के कुकर्मों से इतनी दहशत रहती है, कि आयोग के कार्यालय में भी आते-आते समय भी रोब झाड़ने और सुरक्षा के लिए अभी भी आदमी रखना पड़ते हैं।

दिनेश जुमरान भी सूचना आयुक्त है। इन तीनों हरामखोरों का इस आयोग में कैब्र शशासन की सुख-सुविधाओं का लाभ लेना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरा वेतन भत्ते, बंगला, लालबत्ती आदि का भरपूर वेतन लेते हुए अपील कर्ताओं को ही ये तीनों हरामखोर मानसिक प्रताड़ना देकर अधिकारियों को बचा रहे हैं।

ये हरामखोर तीनों आयुक्त, पिछले 5 वर्षों में 5 व्यक्तियों को भी रु. 25000/- का दंड तो दिया ही नहीं गया साथ ही आवेदक को कानून में व्यवस्था होने पर भी उसे कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई गई, इन भ्रष्ट शूकरों की जालसाजियों में आयुक्तों के साथ वहां पर बैच स्टॉफ भी महामक्कार, निकमा और इतना बदतमीज है, कि उनसे पूछताछ करने पर ये अपनीलांटस पर तो एक तरफ फूफकारते हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार अधिकारियों के आगे पीछे घूमते हैं। फिर पूरा आयोग सरकारी

भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गया है। इसका अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस आयोग प्रदेश के 50 जिलाधीशों और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले 90 से 105 विभागों में सभी संभागायुक्तों से अपने संभागों की धारा 4 की जिसमें 17 बिंदुओं की जानकारी इंटरनेट साइटों पर डाली जानी चाहिए थी 5 वर्ष बाद भी डलवाने की तो दूर वरन जिन्होंने जिसमें जिलाधीश देवास भी थे इन हरामखोरों ने जानकारी डालने के कारण उन्हें पत्र देकर हतोहित ही किया। यदि धारा 4 की जानकारी डाल दी जाती तो इन हरामखोरों शतानों की फौज पूछ-परख की समाप्त हो जाती।

इस अधिनियम की जो पारदर्शिता की मंशा थी उस आयोग में घोर भ्रष्ट और निकमों ही बैच दिए गए तो कैसे उम्मीद की जा सकती है, कि ये शासन को कहे कि कम से कम चारा 4 जानकारीयां डाले,

जिलाधीश जिले का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, सारि योजनाओं का धन वितरण करने कार्यों पर नियंत्रण रखने, हर सप्ताह सभी अधिकारियों की सभा बुलाने व शासकीय कार्यों को संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार होता है केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उसके जिलाधीश कार्यालय में ही होता है जिसे धारा 4 की जानकारी जिले की साइट पर डालना और समयानुसार अपकृत करना चाहिए। श्री अजमेरा ने देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आदि जिलों में सूचना के अधिकार में धारा 4 के अंतर्गत जिलाधीशों को हर वर्ष में जानने के लिए पत्र दिए, तो जिलाधीशों ने जानकारी डालना शुरु भी की थी, पत्रों का जवाब संतोषजनक न पाए जाने और जानकारीयां न मिलने क दशा में प्रथम व द्वितीय अपीले की इस सूचना आयोग ने श्री अजमेरा की अपीलें खारीज करना दी, इनकी बतमीजीयों का ये उत्कृष्ट नमूना है ये इन पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0436/रासूआ/38-06/
इंदौर/2008/3693 भोपाल
दिनांक 31/03/2010

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषय:- द्वितीय अपील क्रमांक ए-0436 श्री अजमेरा एस.पी.कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकार, कार्यालय कलेक्टर, बुरहानपुर

संदर्भ:- 1.आपका अपील आवेदन दिनांक 04/02/2010

आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-0436 में आपने लोक सूचना अधिकारी काय्यलय जिलाध्यक्ष बुरहानपुर को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.1.09 को प्रस्तुत कर विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी चाही थी। चूंकि इन सभी विभागों में शासन द्वारा पृथक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि प्रथम लोक सूचना अधिकारी के लिए पृथक आवेदन एवं उसके लिए पृथक प्रथम अपील प्रस्तुत करें। अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से अनसन्तुष्ट होने पर पृथक आवेदन एवं अपील हेतु पृथक द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस परामर्श के साथ ही आपका अपील प्रकरण क्रमांक ए-0436 आयोग स्तर पर नस्तिबद्ध किया जाता है।

(प्रकाश खरे), उप सचिव
राज्य सूचना आयोग
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0437/रासूआ/38-06/
इंदौर/08/381 भोपाल, दिनांक 01/3/10

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषय:- अपील क्रमांक ए-0437 श्री अजमेरा एस.पी. कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा मध्यप्रदेश

अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा मध्यप्रदेश।

संदर्भ:-1. आपका आवेदन दिनांक 20.2.2009 के संबंध में।

आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-0437 के संबंध में अवगत होवे कि आपने दिनांक 16.12.08 को लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा को आवेदन प्रस्तुत की भिन्न-भिन्न विभागों से संबंधित जानकारी चाही है। कृपया इस संबंध में अवगत होवे कि भिन्न-भिन्न विभागों के संबंध में पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी पदस्थ है। अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप पृथक-पृथक ग्राम विभागों के संबंधित जानकारी चाहने के लिए पृथक-पृथक संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराने पर पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रथम अपील एवं अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पृथक-पृथक द्वितीय अपील आयोग को कर सकते हैं इस परामर्श के साथ ही आपकी द्वितीय अपील क्र.ए-0437 आयोग स्तर पर नस्तिबद्ध की गई है।

(प्रकाश खरे), उप सचिव
राज्य सूचना आयोग

देवास जिलाधीश के विरुद्ध 15/4/08 को आदेश पारित होने से देवास जिलाधीश ने अधिकांश विभागों की जानकारी न केवल उस पर डाली वरन इस कारण आयोग को देवास के विभागों से अपीले मिलना ही लगभग बंद हो गई, इससे आयोग में बैच सू.आ. इकबाल अहमद बोखला गया क्योंकि उसकी कमाई पर भी असर पड़ा।

इन निकमों शतानों का अपीलायंस को प्रताड़ित करने का एक अंदाज और भी है, पत्र प्राप्ति के दो तीन महीने बाद भ्रष्ट अधिकारी जो इन्हें पेंट पूजा देता है जिसमें वाणिज्य कर विभाग इन हरामखोरों की महीना मिलता है इसलिए अधिकांश अपीले

ये शब्दों के मायाजाल में उलझाकर खारिज कर देते हैं। इसका एक नमूने नीचे देखिए।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0424/रासूआ/07-02/
इंदौर/09/3695 भोपाल, दिनांक 31/3/10

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषय:- अपील क्रमांक ए-0424 श्री अजमेरा एस.पी. कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्य कर, इंदौर।

संदर्भ:-1. आपका अपिल आवेदन दिनांक 25.2.2009 के संबंध में।

आपके अपील आवेदन में निम्नानुसार कमियां हैं:-

1. लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.12.08 की तीन प्रतियां संलग्न नहीं है।

अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप उपर्युक्त कमियों की पूर्ति कर आवेदन दिनांक 18.4.2010 तक भेजे ताकि आपके प्रकरण में कार्यवाही की जा सके।

(प्रकाश खरे)
उप सचिव,
राज्य सूचना आयोग

उपरोक्त पत्र में जानबूझकर प्रतिवादि का नाम पूरा नहीं लिखा गया अकेले इंदौर में वाणिज्य कर के 10 से ज्यादा उपायुक्त बैचे हैं। तीन वाणिज्य कर संग्रह, 3 अपीलेट, 2 एंटी इवेजन् ब्यूरो।

अंकेक्षण, और 4 से ज्यादा मुख्यालय में बैचे हैं आठ के विरुद्ध अपीले भेजी गई थी, कौन सा उपायुक्त वाणिज्य कर है, उसे बचाने और अपने निकमेपन को छुपाने हरामखोरों ने पूरा और सही पता नहीं लिखा, दुसरा दुसरा जान बुझकर, संबंधित अधिकारी अनावेदक से लेन-देन कर प्रतियां कम होने का शिजूका छोड़ बचालिया गया। अब किसकी फोटो कापी भेजे जाए, करोड़ों रु. का आबंटन उकारने वाले ये शूकरों की फौज के



पास स्वयं की फोटो कापी मशीन है, यदि ईमानदारी होती तो ये लिखने की अपेक्षा इस अपील की फोटो कापी करवा कर कार्यवाही संपन्न करते, ये हरामखोर शतानों की फौज बहुत अच्छी तरह से जानती है, कि अगर श्री अजमेरा अपीले भेज रहे हैं, तो अनावेदक सिर झुकाकर वहां अपील में सुनवाई के लिए पहुंचकर चढ़ोगा भी चढ़ा रहे हैं। अन्य या देवास में धारा 4 के पालन से अपीले घट कर नमा मात्र रह गई है।

यदि सूचना आयोग में बैच सेवानिवृत्त आयुक्तों की फौज में थोड़ी सी भी ईमानदारी जनता के धन से मिलने वाले वेतन के प्रति थोड़ी सी वफादारी निभाने क नियत होती तो ये शूकरों की फौज न केवल धारा 4 का पालन 5 वर्षों में हर सरकारी विभाग से करवा चुकी होती, साथ ही जनता के धन से होने वाली भ्रष्टाचार की होली के रंगों का अंदाजा कम से कम 1 प्रतिशत जनता तो लगा ही सकती थी, इसके विपरीत जीवन भर डकैती और जनता के धन से लूट खसोट करने वाले 3 आयुक्तों की बैशर्मी, बतमीजी और निकमेपन का आयोग क कार्यशैली उत्कृष्ट है, शाम 4 शासन की मांड गिरी करने अपीलार्थियों को हतोहित और मानसिक प्रताड़ना देकर परेशान करने आर कहने पर ये शूकर इकबाल अहमद कहता है, यहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो उच्च न्यायालय में जाओ, वहां से जानकारी निकलवाओ कि सलाह नहीं देता जो स्पष्ट करता है, कि हमने जिंदगी भर भ्रष्टाचार और हरामखोरी की है, मरत दम तक यहीं और यहीं करेंगे।

नर्मदा तृतीय चरण-जनता पर 750 करोड़ का कर्ज

पानी-नेताओं, पूंजीपतियों और सत्ताधीशों को

इंदौर। नगर की जिस २५ लाख से ज्यादा की आबादी के पीने के पानी के नाम पर रु. ७५० करोड़ का कर्ज एशियन विकास बैंक से लिया गया। उस कर्ज का भुगतान तो जनता करेगी। पर जो नर्मदा के तीसरे चरण का पेय जल इंदौर लाया गया उसका लाभ जनता को नहीं मिला उसे कल भी दो दिन के मात्र २० मिनट पानी जो आम जनता को मिल रहा था, वह वर्तमान में भी मिल रहा है। और भविष्य में भी मिलेगा। जिनको पानी कल भी नहीं मिल रहा था, उन्हें आज भी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में जून के महीने में ५४ और ७४ नं. स्कीम के रहवासियों ने एबी रोड पर जाम भी लगाया था। जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि तीसरे चरण का पानी वहां लाया जरूर गया था। परंतु वह पानी वहां के एक नेता की शराब फैक्ट्री में चला गया और हम जस के तस प्यासे बैठे हैं। ये हाल उन सभी बस्तियों का है। जहां मध्यम

2 दिन में 20 मिनट पानी, कल आज और कल भी मिलेगा, जनता को तो

निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबों की सुगमियां हैं।

बेशक इस तृतीय चरण के पानी का बड़ा लाभ नगर निगम के पार्षदों, मंत्रियों, शासकीय अधिकारियों की कालोनियों उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की बस्तियों की कालोनियों उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की बस्तियों का बहुत हुआ जिसमें ८० प्रतिशत लोग पानी का पैसा नगर निगम तक में मासिक बिलों का नहीं भरते हैं। पर नर्मदा के जल का भरपूर फायदा सभी तरह से ये ही उठाते हैं। गाड़ियां धोते हैं। कुत्ते नहलाते हैं। उद्योग चलाते हैं। पैसे देने के नाम पर अपना रुतबा दिखाते हैं। या फिर आधा इंची के कनेक्शन पर २ इंजी का कनेक्शन चलाते हैं।

इस संबंध में नगर निगम के जल

प्रदाय करने वाले नर्मदा के कार्यपालन यंत्री धमेन्द्र वर्मा से पूछा गया कि आखिर २७० एमएलटी पानी आ रहा है। कितना जल राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो तपाक से बोले १०० प्रतिशत जब उनसे पूछा गया कि १८० एनएलटी में कितना आ रहा था और जब २७० में कितना आया। तो ढीले पढ़ कर बोला कि ४० प्रतिशत जल राजस्व भी मुश्किल से आ रहा है।

अब आपको बता दे, कि एडीबी और विश्व बैंक से मिलने वाले भूणों के शेड्यूल आफ रेट्स और केन्द्रीय सरकार के कार्य विभागों को जारी होने वाले शेड्यूल ऑफ रेट्स में ४० प्रतिशत का सीधा अंतर आता है। अर्थात् जो पानी की टंकी भारत के केन्द्र सरकार और मप्र सरकार के कार्य विभागों की दरों में २० लाख

में बनाई जाती है वही एडीबी और विश्व बैंक के अनुसार भारतीय मुद्रा में और भारतीय दरों पर उनके अनुसार रु. २८ लाख में बनाने का इस्टीमेट स्वीकृत होता है। ताकि बनाने वाली एजेंसी और बनवाने वाली एजेंसी ४० प्रतिशत का व मार्जिन और १५ से २५ प्रतिशत का व मार्जिन जो इस्टीमेट बनाते समय अधिकारियों और झुंकेदार के भ्रष्टाचार के लिए शामिल किया जाता है। यह औसतन होता है जैसे पाइप खरीदी और टंकी निर्माण में १० से १५ प्रतिशत और निर्माण कार्य जैसे पाइपलाइन बिछाने आदि में २५ से ४० प्रतिशत तक का होता है। अर्थात् जो काम भारतीय केन्द्र आर राज्य सरकार दरों की अनुसूची के अनुसार रु. ४५० करोड़ में होना था रु. ७५० करोड़ का हुआ वह भी कैसा उसे आए दिन दैनिक समाचार पत्रों में जनता पढ़ ही रही है। यहां की पाइपलाइन फूटी वहां फूटी। फिर इस



एडीबी के भूण के नर्मदा तृतीय चरण के कार्य को संपन्न करने वाली प्रोजेक्ट इंपली में टेशन युनिट में जितने भी लो.स्वा.यां. के महा प्रबंधक से अन्य सभी इंजिनियर जोपीएचई के महा भ्रष्ट इंदौर संभाग में थे जिसमें अधीक्षण यंत्री प्रभात सांखला, का.अ. धमेन्द्र वर्मा, दीपक रत्नाकर, मोनिका मंडलोई, बघेल, गुरुभेद, इस इकाई के कर्ताधर्ता थे। वही हाल सीवरेज प्रोजेक्ट वह भी रु. ४४५ करोड़ का है। वह भी भ्रष्टाचार के इन इंजीनियरों की देखरेख में ही संपन्न हो रहा है। बेशक सांखला की एक मात्र इंजिनियर है जो संभागायुक्त,

निगमायुक्त से लेकर पार्षदों, नेताओं, भोपाल में बैठे मंत्रियों के मुंह के साइज का टुकड़ा डालकर नर्मदा का पीने का पानी हो या सीवरेज में बहाने का पानी हो।

पहले ४५० से ५०० फीट लाने और फिर नालियों से बहाने से लेकर जेबों से निकालने और पहुंचाने तक के कार्यों को बनिया बुद्धि से सबका ख्याल रखते हुए संपन्न कर रहे हैं। गरीबों की आंख से ही इतना पानी बहता है। कि उन्हें पिलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसे न पानी मिलेगा न वो बहाएगा पर बिल तो उसी को देना पड़ेगा।

सारे सूचना आयोग भ्रष्टों, जालसाजों के अड़े

अधिकांश कार्यवाहियां अवैध

केन्द्र व राज्य सरकारों के सूचना आयोग केवल कानूनी औपचारिकताएं राष्ट्र की केन्द्र सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम लागू करने और उसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जो औद्योगिक का गठन किया और राज्य सरकारों में करवाया। वह मात्र दिखाना बनकर रह गया है इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि स्वयं केन्द्र सरकार केक विभागों ने इसका कितना पालन किया। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से केन्द्र सरकार के सभी विभागों आयकर, कसम एंड एक्साइज पोस्ट आफिस रेल्वे, संचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों और उनकी शाखाओं, कृषि विभाग, उद्यानिकी, पेंशन एक कार्मिक व जन कष्ट निवारण मंत्रालय, खनिज विभाग, महिला एवं बाल विकास, संसदीय के साथ ही, केन्द्र सरकार के उपक्रमों यथा भारत शूकर भ्रष्ट निंकमा लि. दूरदर्शन राष्ट्रीय खनिज विकास विभाग ओएनजीसी, आई ओसी, बीपीसएल, एचपीसीएल जैसे सैकड़ों उपक्रमों तक ने ५ वर्ष बाद भी इंटरनेट साइटों पर सूचनाएं नहीं डाली। जब एक आवेदक ने कार्मिक विभाग से पूछा, और केन्द्रीय सूचना आयोग से पूछा तो दोनों ने ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी से पल्टा झाड़ लिया।

जब इस अधिनियम की धारा का पालन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर केन्द्र शासन के सभी विभाग, उपक्रम निगम, नियमन आयोग, ५ वर्ष बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त से पूछा जाता है। तो वह भ्रष्ट ५ वर्ष बाद आवेदक को जवाब देता है। कि ओ हो यह काम भी हमारा था। जबकि इसी सूचना के अधिकार में ये सारी जानकारी मांगने के चक्कर में ८ व्यक्तियों की जान सूचना न देने वाले अधिकारी, पुलिस गुंडे ले चुके होते हैं।

वैसे भी केन्द्र और सभी राज्य सरकारों ने इन ५ वर्षों में भरपूर कोशिश की है। शतरंज की बिसात जमाई। और इस कानून की औपचारिकताएं पूरी करने के ऐसे सेवानिवृत्त, उच्च भ्रष्ट लोगों को चुनचुन कर बैठाया है। कि उनका पूरा ध्यान सत्ताधीशों को धन लेकर बचाया जाता रहा है। केन्द्रीय सूचना आयोग में भी सारे चुन चुन कर सदस्यों को भी न केवल भ्रष्टों को बैठाया गया है वरन् वे सब भी खुलकर हरामखोर आवेदकों को हड़काते उराते और धमकाते हैं। जबकि अनावेदकों से खुलकर लेन-देन कर आयोग के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाती है। इसकी भी व्यवस्था करते हैं।

इंदौर केक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक डॉक्टर ने दिल्ली स्थित अपने वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी मांगी। जानकारी नहीं दी गई, डॉक्टर ने पहली अपील लगाई। संतोषजनक उत्तर नहीं आया। अगले ने सूचना आयोग में अपील की वहां से आदेश हो गया कि आवेदक को जानकारी मूफ्त दी जाए। संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने फिर भी जानकारी नहीं दी। फिर शिकायत की गई तो लो सू अ ने रद्दी के पेपर का लिफाफा भेज दिया। अगले ने फिर शिकायत की। ८-९ महीने से ज्यादा हो जाने पर भी उस पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। आयोग अब आमजन

अंदाजा लगा सकता है कि कैसे ये हरामखोर सूचना अधिकार अधिकार अधि०५ की केन्द्रीय सूचना आयोग के भ्रष्टों पर धन खर्च करके अनावेदक और सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही स्वयं केन्द्रीय सूचना आयोग बताए कि उसने स्वयं धारा ४ के एबी के १७ बिंदुओं सी और डी का कितना पालन कर सारी जानकारी इंटरनेट साइटों पर डी तो स्वयं आयोग भी कटघरे में खड़ा नजर आएगा। दूसरी और धारा १९(८) ब में कितनों को क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। कितनों पर १९(८)सी में अर्थदंड अधिरोपित किया अक्टू. ०५ से अभी तक तो मालूम पड़ेगा कि पिछले ५ वर्ष में पूरे भारत में २५-५० से ज्यादा को न तो दंड अधिरोपित किया गया और न ही आवेदक के स्तर पर हुई हानि के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।

राज्यों में मप्र राज्य सूचना आयोग की ही लें, तो यहां पर भी भ्रष्टों की फौज मुख्यमंत्रियों चाहे वो उमा भारती हो, बाबु गौर हो या शिव चौहान हो। इन सब ने भी सेवा निवृत्त जिन श्वाणों की फौज बैठायी उन सब ने दोनों हाथ से माल बटोरा और पिछले ५ वर्षों में किसी भी आवेदक को क्षतिपूर्ति देने की तो दूर, सबने जिसमें सु.सू.आ. पीपी तिवारी से लेकर सु.आ. इकबाल अहमद पुराना भ्रष्ट आईएएस, सु.आ. दिनेश जुगरान सभी अधिकारियों को धन लेकर सभी अधिकारियों न केवल बचाया इन जालसाजों ने आवेदकों को न केवल हतोत्साहित भी किया दूसरी यदि देवास कलेक्टर ने धारा ४ का पालन भी किया तो उसे शबासी देने के विपरित आयोग के आयुक्तों ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से पत्राचार से हड़काने की कोशिश भी की।

मु.सू.आ. का ये कथन कि धारा ४ को परा करवाना और शासन से पूरा करवाने के लिए पूछताछ करने के बारे में जानकारी नहीं थी। यह बूढ़ा लालची स्वयं नहीं चाहता कि धारा ४ पूरी की जाए। क्योंकि धारा ४ के पूरा होते ही ९० प्रतिशत अपीलें आना ही बंद हो जाएगी और इनके दोनों हाथों से बटोरने के मौके हाथ से जाते रहेंगे कई विभागों से मिलने वाला महीना जिसमें मप्र वाणिज्यकर आबकारी के साथ परिवहन विभाग, मप्र विद्युत मंडल उसकी पांवों कंपनियां, मुद्रांक एवं पंजीयन, राजस्व, भू अभिलेख, आदिम जाति कल्याण, व अन्य सभी शासकीय विभाग जो सूचना अधिकार के लपेटे में आ चुके

हैं। जानकारी जनता के हाथ न पड़ जाए अन्यथा इनका भ्रष्टाचार की सारी सच्चाइयां सार्वजनिक होने से कईयों की नौकरियां चली जाएंगी और शासन को लेने के देने पड़ जायेगे।

श्री अजमेरा ने आयोग को अभी तक दो सौ से ज्यादा अपीलें सन् २००६ से अभी तक लगाई और हर अपील में धारा ४ को पूरा करने के लिए हर विभाग के बारे में लिखा। इन हरामखोरों ने ९० प्रतिशत अपीलें अनावेदकों से धन वसूलकर रद्द कर दी जबकि सब अवैध थीं। क्योंकि बिना वैध कारण के तो अपील ही नहीं लगाई जा सकती।

दूसरी ओर आयोग अपील पर अनावेदक से स्पष्टीकरण मांगता है। उस अपील की कापी के साथ पर स्पष्टीकरण मांगने में ही दूरभाष पर या सीधे ही मिलकर लेने-देन का खे हो जाता है। यदि लेने-देन पर्याप्त स्तर का हो गया तो फिर अपील में कितने ही झुंसे तथ्य हो। उसे रद्द करना या अधिकतम धारा ७(६) में चाही गई जानकारी मुफ्त उपलब्ध करवाने से ज्यादा पिछले ५ वर्ष में ५० जिलों के ५००० से ज्यादा अधिकारियों पर मुश्किल से ५-६ को ही धारा १९(८)सी में दंड दिया गया।

वैसे आयोग को अनावेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति आवेदक को भेजनी चाहिए पर ये हरामखोर जालसाज सीधे ही स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवेदक को बिना स्पष्टीकरण की प्रति भेजे बिना ही आवेदक की आज्ञानता का फायदा उठाकर अपील की सुनवाई का बुलावा भेज कर एक तरफ ही लेन कर खेलकर डालते हैं। जबकि प्राकृतिक न्याय के नियमांतर्ग जैसे आवेदक की अपील पर अनावेदक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। वैसे ही अनावेदक के स्पष्टीकरण की प्रति आवेदक को भेजे बिना अपील की सुनवाई कर लेते हैं। जबकि आवेदक को अनावेदक के स्पष्टीकरण के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता और सीधे सुनवाई में बिना कुछ बिना ये आयुक्तों की फौज एक तरफ निर्णय आयोग की पूरी कार्यवाही की अवैध हो जाती है। इसके साथ ही ९० दिनों में अपील की सुनवाई की अपेक्षा डेढ़ से दो सा लगाया जाता है जब तक आवेदक के सूचना मांगने का औचित्य ही अर्थहीन हो जाता है। तीसरा आयोग में पत्रों, अपीलों का पंजीयन भी डेढ़ से दो माह बाद किया जाता है। इन हरामखोरों की जालसाजी का उत्कृष्ट नमूना है। जो ये कदम-कदम कर रहे हैं।

बाकी अगले अंकों में

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उससे अधिक आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एफिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र का बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें। अन्यथा कापी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज दोगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।

आज्ञा से प्रधान संपादक

लो.नि.वि. में फर्जी जाति के आधार पर नौकरी सिंग बंधु कब तक नौकरी फर्जी जाति प्र.प. के दम पर

मु.अ. एम.पी.सिंग का अ. सीपी सिंग निवासी धार के जाति प्रप. बिलासपुर से

इंदौर। मप्र लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में मुख्य अभियंता का प्रभार संभाल रहे एमपी सिंग, पूर्व के इंदौर संभाग के सेतु का इसका भाई सीपीसिंग जो वर्तमान में भोपाल मप्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड में कार्य पालन अभियंता है। के जाति प्रमाण पत्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बनवाए गए हैं। जबकि दोनों मूल निवासी धार जिले के निसरपुर के रहने वाले हैं। इस संबंध में प्रमुख अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला जो सेवा निवृत्ति के बाद सेवकाल विस्तार के बिस्तर पर लेटकर हर आबंटन, स्वीकृति और हर कार्य में दोनों हाथों से वसूली में जुटा है। सूचना के अधिकार में पत्र दिया गया था। जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र ही मूल रूप से मांगे गए थे। धूर्त पत्र ही हजमकर गया बेशक दोनों हाथों ऐसे सभी फर्जी लोगों से जो विभाग में कार्यरत हैं। दोनों हाथों प्रकरण दबाने और जवाब देने में वसूली की ही होगी। फिर अपील प्रस्तुत की गई। ये जालसाज शुक्ला इसे भी पी जाएगा। वैसे भी ये पहला जालसाज विद्युत यांत्रिकी का पहला अभियंता है, जो कि न केवल सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री धारक नहीं होने

के बाद भी न केवल पूरे लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अभियंता पद पर भी सेवा निवृत्ति के बाद भी पदस्थ है। इस धूर्त को सिविल इंजीनियरिंग कीमते ही अबसद नहीं आता हो परंतु हर निविदा में, संभागों के धन आबंटन में, हर कार्य में निश्चित दरों पर कमीशन वसूली का अवश्य विशेषज्ञ है। स्वाभाविक ऐसा धूर्त हरामखोर आवेदक को जानकारी देगा या ऐसे जालसाजों से वसूली करने का अधिकार सुरक्षित करेगा।


इस संबंध में एक आवेदन मुख्य अभियंता पश्चिम क्षेत्र, मप्र लोक निर्माण इंदौर को भी दिया गया था। पर इस बिंदु की जानकारी देने में इस कार्यालय में जालसाजी के साथ व अन्य संभागों ने भी जो इस पश्चिम परिक्षेत्र में आते थे ने भी जालसाजी करते हुए जानकारी देने की अपेक्षा उल्टे ही हरामखोरों ने उल्टी सीधी दलीलें दी या अधिकांश ने जवाब ही नहीं दिए। समय माया के पाठक जानते हैं। कि सचिवालय लोक निर्माण विभाग भोपाल से ३१.१२.०९ को ही प्रदेश के १ मुख्य अभियंता कार्यालय बंद करने के आदेश हो चुके थे उस समय माया ने लगातार मई ०९ से ही रोकने



की अकेले दम पर ही मुहिम चलाकर बंद होने से बच गया था ऐसे ही लोनिवि की सारी सड़के जो राज्य मार्ग से सड़क विकास निगम ने छीन लिए। भवन निर्माण कार्य संबंधित विभागों को सौंप कर इस प्रदेश के पूरे लोनिवि को बंद करने की ही तैयारी चल रही थी। उसमें भी अकेले ही समय माया ने अपनी मुहिम चलाकर रोका और सलेमान की विदाई उसके न चाहने के बाद भी करवाई। इसके विपरीत इस विभाग में उपर से नीचे तब बैठे डकैतों को इन सब से कोई सरोकार नहीं।

जानकारी न देने के लिए अधिकारियों का हथकंडा ग्रा.यां.से.के का.अ. गौर द्वारा स्टिंग आप्रेशन

देवास। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय कार्यों मर्दों में चल रही लूटपाट और भ्रष्टाचार की कहानियों का पत्रकारों द्वारा छपा जाना या उसके भ्रष्टाचार को कैमरों में कैद करने के स्टिंग आप्रेशन तो जनता ने टीवी समाचार पत्रों में पढ़े देखे और सुने होंगे। इसके विपरीत शासकीय अधिकारियों द्वारा अपने भ्रष्टाचारों को दबाने, सूचना अधिकार में जानकारी न देने, आवेदकों, पत्रकारों पर ब्लेक मेलिंग का आरोप लगाकर बचने के लिए अब अधिकारी भी जेबों में, टेबल पर पेन स्टैंड में, घड़ी में, कालर में, मोबाइल फोन से कैसे स्टिंग आप्रेशन करते हैं। इसका दिनांक २५.८.२०१० को देवास के मप्र ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के कार्य पालन अभियंता जेपी गौर ने दोपहर ३ बजे से ५ बजे के बीच अपने कार्यालय में अंजाम दिया। इस हरामखोर जेपी गौर ने ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा ने पंचायत के कार्यों जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों में रु.५ लाख से ज्यादा के कार्यों में, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में करोड़ों के कार्य संपन्न किए। उसकी जानकारी सूचना के अधिकार में मांगी गई। जानकारी के नाम पर बंदे ने सौदेबाजी की कोशिश की, और सौदेबा के नाकाम होते-होते महीना गुजर गया अपील मुख्य कार्य पालन अधिकारी देवास को की गई। जहां ये निर्णय हुआ कि धारा ७(६) के अंतर्गत मुफ्त में दी जाए।



जानकारी को अपेक्षा फिर सौदेबाजी की कोशिश की गई। जब सारी कोशिशें नाकाम रही तो इस धूर्त ने बड़े बिलों की फोटोकॉपी में से जो एक ही पार्टी के तीन अलग-अलग

मिली जानकारी के अनुसार आधी से ज्यादा सीमेंट की वहीं सौदे बाजीकर बंध दिया गया था इसलिए पूरे बिल की फोटो कापी नहीं दी गई थी जब २५.८.१० को बात करने पहुंचे ये कार्य पालन अभियंता श्री अजमेरा का स्टिंग आप्रेशन करने की नियत से जेब में पेन लगाकर बैठे थे। जब अजमेरा ने पूछा तो कहते हैं कि मेरे लड़के का है ये पेन उसने दिया था तो जेब में लगा लिया। जब पूछा गया कि बिलों की ऐसी फोटोकॉपी क्यों की गई तो बोले फोटोकॉपी मैंने नहीं करवाई है। जबकि उसका स्पष्ट उद्देश्य था, कि श्री अजमेरा को उकसाकर ऐसी रिकार्डिंग की जाए जिसमें आसानी से ब्लेकमेलिंग का आरोप लगाकर न केवल दस्तावेज देने से मना किया जा सके। वरन उल्टे ही फंसा कर प्रकरण लादा जा सके। जबकि इस जालसाज की इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच करवा ने के लिए लोकायुक्त प्रकरण में लादा जा सकता है। यदि रिकार्डिंग कर भी लेता है। तो अभी तो कटघरे में स्वयं ही खड़ा है। जबकि यही आवेदन की फोटोकॉपी दूसरे पत्रकारों को बांटकर ज्यादा फजीहत खड़ी की जा सकती है तीसरा ये मात्र बागली उपसंभाग के बिलों की ही फोटोकॉपीयां दे रहा है जबकि देवास, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, सलास, हांटपिपल्स के उपसंभागों के बिलों और कार्यों दस्तावेजों की फोटोकॉपियों का पता ही नहीं है। जनता देखे कि जनहित की लड़ाई लड़ने वालों को ये धूर्त मक्कार जालसाज शूकरों की फौज फंसाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाते हैं। फोटों में का.अ. की जेब में लगा पेन कैमरा, गोले में।

जहां बाड़ लगाई वही खेत खाने लगी

अविश्वसनीय भारत

हजारों वर्ष की गुलामी में रहने वाला एक राष्ट्र महान भारत। जिसे ६० वर्ष भी आजादी हजम नहीं हुई, और पुनः सत्ताधीशों जिन्हें जनता ने वोट देकर बैठाया कह सकते हैं। बाकी जीते तो वोटिंग मशीन की जालसाजियों से ही है। जीतने के बाद कुछ बेहतर करके दिखाते तो भी जालसाजी की वह जीत हजम हो जाती परंतु वा नुकामे भ्रष्ट, आत्मविश्वास और स्वाभिमान हीन कागज के टुकड़ों की खातिर, कमीशन खोरी और विदेशी बैंकों में अपनी रकम के अंकों में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रहित और जनता कर गला घोटकर पुनः विदेशियों को अपत्यक्षरूप से सत्ता

सौंपने और गुलामी को आमंत्रित करने की चाले चलने लगे।

हम १२५ करोड़ की आबादी के देश को उस २६ करोड़ के संकर प्रजाति के अमेरिका के सामने नाचते दान के सहारे जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादों, औद्योगिक उत्पाद और प्राकृतिक उत्पादों को उसको भेंट कर देते हैं। और इस देश के १२५ करोड़ जानवरों में से लगभग ४० करोड़ वहां का सड़ा गेहूं, दालें, तेल, शकर आयात करके पेट भरते हैं। जबकि ये १२५ करोड़ हाथ फैला दें। तो कई अमेरिका इसकी मुट्ठी में आ जाए। पर इस भारत की यही

हमारा राष्ट्र अविश्वसनीय राष्ट्र। कहीं उत्कृष्टतम तो कहीं विश्व के निकृष्टतम।


अविश्वसनीयता है, कि वो हाथ समेटने के लिए नहीं वरन् भरत मांगने के लिए फैलाए जाते हैं। यहां की १२५ करोड़ जनता उनको सत्ता आंख मीच कर सौंप देती है जिनके पास न तो आत्मविश्वास होता है न आत्मस्वाभिमान। जो कभी अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं। तो कभी ब्रिटेन के इशारे पर और नहीं तो उनके षड़यंत्रों के तहत बैठाई गई सोनिया जो विरुद्ध युरोपियन एजेंट है, के इशारों पर नाचने से भी कोई परहेज नहीं करते धन्य है १२५ करोड़ गुलामों का देश।

जिन्हें न्याय की बागडोर सौंपी जाती है। वो केवल अपनी जेब, अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ न्याय करते हैं। यहां २०००० लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला शान से आता है। शान से नोटों रुपी कागज के टुकड़े फैकता है। तो मालूम पड़ता है। कि क्या पुलिस क्या न्यायालय क्या मंत्री, मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति सब उसकी बलैया उतार कर, उसे शान से हवाई हंडे तक छोड़ने भी जाते हैं। मुकदमों चलाया जाता है। सब हुकड़खोर टुकड़े तोड़ने आते हैं। चले जाते हैं २६ वर्ष बाद फैसला सुनाया जाता है। तो मात्र लापरवाही

का ही दोषी पाया जाता है।

जनता के स्वास्थ्य के लिए अरबों रु. खर्च किए जाते हैं। जनता का स्वास्थ्य सुधरे न सुधरे, परंतु डाक्टरों से लेकर मंडियों तक के बैंकों के बैलेंस के न केवल स्वास्थ्य सुधर जाते हैं। वरन् उनके मोटे बैलेंसों की मोटाई घटाने के लिए विदेशी बैंकों को भेजना पड़ता है। जनता साधु सन्यासियों की झाड़ फूंक और भभूतियों से ही झूक होकर काम चला लेती है। हे न, अविश्वसनीयता भारत में चारों तरफ।

जिन पुलिसियों और जांच एजेंसियों को जनता की सुरक्षा सौंपी जाती है उसके ही एसपी डीएसपी तक को सुरक्षा के लिए पहले ही चार-चार पुलिस वाले सुरक्षा के लिए चाहिए पड़ते हैं। उन्हें अपराध रोकने के लिए कहा जाता है, वे स्वयं ही अपराधियों के साथ मिलकर अपराधों के सरगना बन जाते हैं। मुंबई में हमला हुआ उन्होंने सबसे पहले ही अपने ही साथियों को मार डाला मुझभेड़ की आड़ में, फिर मुझभेड़ स्थल पर पहुंचे और स्वयं ही विल्लाने लगे कि मुझभेड़ में मार दिए गए। जनता की सुरक्षा की बात तो कोसों दूर गई। यहां कानून बनाए जाते हैं। जन हित के नाम पर,



पर होता इसके झूक विपरीत ही है। कानून की छड़ी उड़ाकर जनता को चमकाया जाता है। और उगाही का हथियार बन जाते हैं। वैसे भी कानून, धूर्तों के बनाए शब्दों का माया जाल है। जो अपनों को बचाने और निरीहों के शोषण के काम आता है।

इन सबके साथ ही १९७० के बाद जितने भी कानून बने वो सब बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर उनके लिए ही बने या फिर सत्ताधीशों की वसूली के लिए ही बनाए गए।

यहां जिसको सत्ता सौंपी जाती है। सत्ता प्राप्त करते ही वह जनहित नाम का शब्द कोष मस्तिष्क के शब्द कोष से तुरंत बाहर कर देता है। और स्वाहित में जुट जाता है। इसके लिए वह सफेद खादी पहनकर सारे काले, कुकर्मों में जुट जाता है। यहां उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता और सत्ता में बैठते ही अपने अधिकारों की आड़ में धन वसूली करता हुआ। सत्ता का सूरत भोगता है। सत्ता, कांटों का ताज नहीं कमाइ का राज और सीज बन जाती है। फिर बाढ़ खेत खाने लगती है।

हमारा राष्ट्र सहस्रों वर्षों से

गुलाम रहा है।

तो मात्र घोर स्वार्थी मानसिकता और आत्म विश्वास की कमी के कारण। राष्ट्र प्रेम की अपेक्षा सदा से ही स्वप्रेम स्वकल्याण यहां के जनमानस की नियति बनी रही। इसके चलते जो भी आया आसानी से हम पर राज करता रहा। और हम उसकी गुलामी करते रहे। तो हमारे देश की धरती पर हमें ही जोतता रहा और हम उसकी गुलामी करके अपने भाग्य को सराहते रहे। दुनिया को ज्ञान बांटने वाला यह राष्ट्र स्वयं कितना बड़ा अज्ञानी रहा।

इसके विपरीत हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और मात्र ६० वर्ष की आजादी शैशव अवस्था से बाहर निकलकर स्वयं के पैरों पर चलना भी नहीं सीख पाई थी कि हमारे लालची सत्ताधीश अपने ही खजाने में डकैती डालकर विदेशी बैंकों में धन छुपाने लगे। दूसरी ओर आर्थिक अभाव का रोना रोकर विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर घी पीते हुए सत्ता सुख भोगते रहे। साथ ही इस कर्ज के नाम पर देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को गिरवी करते रहे।



नेहरू ने दो, इंदिरा ने तीन, सोनिया चौथा टुकड़ा करेगी भारत का

काश्मीर को स्वायतत्ता, अर्थात् नया देश

वर्तमान में भारत की सत्ता में बैड़े धूर्त कांग्रेसी डकैतों को राष्ट्र क संसाधनों को येन केन प्रकारण निचोड़ कर स्विस बैंकों में जमा करने के अतिरिक्त सावन के अंधों की भांति देश के संसाधनों की वर्तमान कमाई की हरियाली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे राष्ट्र में न केवल आम जनता को एक तरफ महंगाई की भारी चोट लग रही है। तो दूसरी तरफ इस से मोटा कमीशन हर वर्ष उकारने के लिए राष्ट्र का पूरा खाद्य उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए कानून ही बना दिया। जबकि इसके लागू होने से लगभग १० करोड़ लोग निश्चित तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे।

इसी प्रकार बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मप्र, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां खनिजों का भंडार है। जहां आदिवास खेती करते हैं उनकी जमीने आधा अधूरा मुआवजा, या बिना मुआवजे के जमीनों पर मोटा कमीशन खाकर गृहमंत्री चीट अंबर और राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें छा का रमन वैसे, मप्र का चौहान उड़ीसा का बीजू पटनायक बिहार का भरद्वाज, बंगाल का भ्रष्टाचार्य के साथ मिलकर उन जमीनों को खनिज माफियाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों वेदांत, टाटा, हिंडालको जिंदल जैसे को सौंप दिया जब आदिवासियों ने एक जुट हो सरकारी नीतियों का विरोध किया तो फर्जी मुझभेड़ों में आजाद जैसे नेताओं का मार डाला गया। ऐसी सैकड़ों इन कांग्रेसी डकैतों की कारस्तानियों पर अंगुली उड़ने

मन मोहन ने काश्मीर को नया देश बनाने का राग अलाया

लगी तो काश्मीर की स्वायतता का राग अलापकर जनता और राष्ट्रीय पार्टियों का ध्यान बांट दिया।

जबकि वहां के मुस्लिमों को

आतंकवादियों को साथ मिलवाकर सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकना इन वर्गों में सौंपी जालसाजों ने ही सिखाया और पैसे देकर उन्हें पत्थर फेंकने का रोजगार देकर वहां से काश्मीरी पार्टियों



सिवरवों का भगाना शुरु कर दिया। कांग्रेस की फूट डालों और राज करों की नीतिका अनुसरण कांग्रेस ने अपने आकाओं से ही सीखा है।

नेहरू की अय्याशियों, रंगरैलियों और रंगीन मिजाजी का ही परिणाम था भारत के दो टुकड़े होना। वह पाकिस्तान अलग होकर ३६ वर्ष बाद भी लगातार तकलीफ दे रहा है। नेहरू की अय्याशियों का ही परिणाम था काश्मीर को पूरे भारत में धारा ३७० के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा किया गया।

और अब्दुला को जो कि नेहरू की अय्याशी की औलाद कहा जाता है। स्वतंत्र राज्य का दर्जा देकर वहां का प्रधान मंत्री बनाया गया ताकि नेहरू की ज्यादा बदनामी न हो।

१९६९ में इंदिरा गांधी ने रूस के माध्यम से शास्त्री वेदूध में जहर मिलवा कर देकर मरवा दिया और सत्ता संभालते ही उसने देश के

छोटे-मोटे, राजाओं की संपत्तियों पर डकैती डालकर हड़पना शुरु कर दिया। जब ज्यादा हल्ला मचा तो १९७१ में युद्ध के माध्यम से पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बनाकर तीसरा टुकड़ा कर दिया जिसे आसानी से भारत में मिलाया जा सकता था। वर्तमान में पूर्वी भारत के बंगाल से लेकर आसाम तक हमारी सीमाओं पर वह भी तांडव कर रहा है सन् ८० से इसके बाद १९७५ में अपनी घोर दमनकारी नीतियों लूट खसौट कर

मानसिकता के चलते उसने खालिस्तान फोर्स और भिंडरावालों को हता दी जो ३१.१०.८४ को स्वयं इंदिरा की मौत का कारण बना।

बाद में राजीव आया तो उसने आते ही लिट्टे को पालपोसकर अमेरिका की बड़ा किया लंका में तांडव करवाया और बाद में अपने ही देश के तमिहों को भारतीय शांति सेना के माध्यम से लाखों की संख्या में मरवा डाला। जो बाद में राजीव की मौत का कारण बना।

अब गांधी खानदान की देश लूटने वाली डकैत बहु और युरोप की एजेंट सोनिया अपनी कङ्कपुतली प्रधान मंत्री मनमोहन अपनी महंगाई, खनिज भंडार बेचने और सौंपने, अपनी नाकामियों को छुपाने काश्मीर को स्वायतत्ताप के माध्यम से अलग कर भविष्य में बांग्लादेश की तरह नया राज्य बनाने का षड़यंत्र कर रहा है। पहले स्वायतत्ता का राग अलाया, फिर जम्मू काश्मीर की अलग मुद्रा का राग अलाया, कल सेना और संविधान का राग अलाया। परसों अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर आंख फेर लेगा।

फिर राहुल आया तो अपनी मां इटालियन बिल्ली और युरोपीय एजेंट सोनिया अपनी दादी इंदिरा, पड़ दादा नेहरू की तरह पूर्वोत्तर चीनियों को सौंप देगा। नक्सलियों के लिए पूरे भारत में एक नया राष्ट्र की घोषणा कर देगा जैसे ये देश नेहरू गांधी के पुरखों की जायजाद हो।

लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, भ्रष्ट दुकानदारी

भारत में जांच एजेंसियों की नौटंकी

अपराधी मस्त, फरियादी त्रस्त, मामले अटकाने लटकाने के विशेषज्ञ

हमारे राष्ट्र में जनता के आक्रोश को झुंडा करने अपनी खाल बचाने अपनी छवि बनाने और बचाने के लिए सत्ताधीश मंत्री, नेता और उच्च स्तरीय अधिकारी किसी भी प्रकरण में जांच एजेंसियों का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। जांच एजेंसियों में चाहे लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू हो, सीबीआई हो, जांच आयोग हो, अधिकारी हो, ९० प्रतिशत जांच एजेंसियों में व्यक्तियों के स्तर, सत्ता का असर, संबंध, लेन देन के आधार पर ही सारी जांच होती है। फिर इन जांचों का सीधा सा उद्देश्य होता है सत्ताधीशों के इशारे पर ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। जानबूझ कर जांचों के नाम पर वर्षों गुजारा दिए जाते हैं, सत्ताए पलट जाती हैं, या आती और जाती है। अधिकारियों और नेताओं को खुलालेन देन कर बचाया जाता रहता है।

इसके विपरीत इस देश के बड़े औद्योगिक घरानों जैसे रिलायंस के मुकेश और अनिल अंबानी, टाटा समूह, सहारा, आईटीसी, बिरला, सुनील मित्तल, जिंदल, जेपी, जैसे अरबों रु. के घोटेले करने वालों, जनता को लूटने वालों, जमीनों पर अवैध कब्जे करने, ग्रामीणों, वन विभाग, नजूल की, शासकीय भूमि, शासन के धन, करों आदि को डकार जाने वाले के विरुद्ध भी कई



हाथ नहीं डालता। जबकि ये अरबों रु. के घोटेले दूर संचार, पेट्रोल, कस्टम एबसाइज, आयकर से लेकर और अधिकांश बड़े-बड़े पुंजीपति, व्यवसायी जो जहां पर जिस व्यवसाय को देख या कार्यकर रहे हैं। सब कुछ जहां जैसा मौका मिला कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सारे कुकर्म कर रहे हैं। इसमें आई डीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई सी आई बैंकर्स, से लेकर बड़े राष्ट्रीय कृत सभी २८ बैंकर्स, बीमा कंपनियों, दूरसंचार, पेट्रोल गैस कंपनियों, सभी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में अवैध कार्यों को संपन्न करने में लिप्त रहने के बाद भी, शासन को अरबों रु. की चोट पहुंचाने के बाद भी शान से न केवल जिंदगी जी रहे हैं। वरन् शिकार पर शिकार, कुकर्मों पर कुकर्म किए चले जा रहे हैं। परंतु कोई कुछ नहीं बोलता। यदि ये बड़े-बड़े पकड़े भी जाते हैं तो छोटे को

शेष पेज ५ पर...